हिमाचल प्रदेश सरकार

वार्षिक

सामान्य प्रशासनिक

रिपोर्ट

2018-2019

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

शिमला - **171002**

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	पृष्ठभूमि एवं परिचय	
2.	योजना विभाग–स्टाफ स्थिति	
3.	संगठनात्मक ढांचा	
3.1.	राज्य योजना बोर्ड	
3.2.	मुख्यालय	
	(1) प्रशासन प्रभाग	
	(II) योजना प्रारूपण प्रभाग	
	(III) योजना कार्यान्वयन	
	(IV) पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	
	(V) क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	
	(VI) जन शक्ति एवं रोजगार प्रभाग	
	(VII) बाह्य सहायता परियोजना/ नवाचार प्रभाग	
	(IX) नाबार्ड–ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि प्रभाग	
	(X) 20–सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग	
	(XI) रेलवे प्रभाग	
	(XII) मूल्यांकन प्रभाग	
	(XIII) विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग	
	(XIV) कम्प्यूटर प्रभाग	
3.3.	जिला कार्यालय	
4.	सूचना का अधिकार नियम 2005	

1. पृष्ठभूमि एवं परिचय

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथमिकताओं एवं सकल योजना परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों/सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा वार्षिक योजना को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, विकेन्द्रीकृत नीति को बढ़ावा देना, योजना स्कीमों की नियमित समीक्षा, बाह्य–सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विश्लेषण और नाबार्ड से निधि प्राप्त आर.आई.डी.एफ. योजनाओं का कार्यान्वयन आदि कार्य योजना विभाग द्वारा किये जा रहे हैं । योजना विभाग द्वारा जन–शक्ति एवं रोजगार सृजन, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना, 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा, प्रदेश में रेल विस्तार, इत्यादि का कार्य भी किया जा रहा है ।

2. योजना विभाग–स्टाफ स्थिति

क्र0सं0	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अध्यक्ष, रोजगार सृजन एवं संसाधन	1	0	1
2.	अध्यक्ष, 20–सूत्रीय कार्यक्रम	1	0	1
3.	उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड	1	1	0
4.	सलाहकार (योजना)	1	1	0
5.	संयुक्त निदेशक	1	1	0
6.	उप–निदेशक	6	4	2
7.	अनुसंधान अधिकारी/जिला योजना अधिकारी	22	18	4
8.	साख योजना अधिकारी	10	10	0
9.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	12	5
10.	सांख्यिकीय सहायक	21	20	1
11.	गणक	4	4	0
12.	सिस्टम ऐनालिस्ट	1	1	0
13.	प्रोग्रामर	1	1	0
14.	कार्यक्रम योजना अधिकारी	1	1	0

15	गणक संचालक	1	0	1
16.	निजि सचिव	1	1	0
17.	निजि सहायक	2	2	0
18.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	0	1
19.	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	6	0
20.	आशुटंकक	3	3	0
21.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	17	9	8
22.	अधीक्षक श्रेणी–।	1	1	0
23.	अधीक्षक श्रेणी–।।	2	2	0
24.	वरिष्ठ सहायक	16	15	1
25.	लिपिक	12	12	0
26.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1	1	0
27.	चालक	5	4	1
28.	चपड़ासी	20	19	1
29.	चौकीदार	1	0	1
30.	फ्राश	1	1	0
31.	जमादार	1	1	0
32.	सफाई कर्मचारी	1	1	0
	कुल	**180**	**152**	**28**

* : राज्य योजना बोर्ड तथा 20–सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्षों के वेतन व भत्तों के बारे में सरकार द्वारा उनके मनोनीत होने के समय पर निर्णय लिया जाता है ।

संगठनात्मकढांचा

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विववरण निम्न हैः–

1. राज्य योजना बोर्ड ।
2. मुख्यालय
3. जिला कार्यालय ।

3.1. राज्य योजना बोर्डः

सरकारी एवं गैर–सरकारी सदस्यों को मनोनीत करके राज्य योजना बोर्ड का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 13फरवरी, 2018 को किया गया ।

I.राज्य योजना बोर्ड की संरचनाः

(i) **अध्यक्ष–माननीय मुख्यमन्त्री**

(ii)**उपाध्यक्ष– राज्य सरकार द्वारा नियुक्त**

(iii)**गैर–सरकारी सदस्य**

1. समस्त केबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
2. हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) – अलग से अधिसूचित ।
3. किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति,जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक–एक प्रतिनिधि – अलग से अधिसूचित ।
4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक – अलग से अधिसूचित ।
5. सेवानिवृत मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी–अलग से अधिसूचित ।

(iv)**सरकारी सदस्य**

1. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रशासनिक सचिव
3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप–कुलपति

(v)**पदेन सदस्य (Ex Officio)**

1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज
2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला

(vi)**सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)**

II. **नियुक्ति की शर्तेः** सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाती हैं ।

III. **योजना बोर्ड मुख्यालयः** योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती हैं ।

IV. योजना बोर्ड के कार्यः

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन–शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन ।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों,क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन ।
- प्रदेश के सीमित संसाधनों के इष्टतम् उपयोग हेतु योजना तैयार करना, राज्य सरकार की वार्षिकयोजना को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास आकलन करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके ।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन का निर्धारण ।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना ।
- योजना कार्यन्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव ।
- चालू कार्यक्रमों की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यक्रमों के निरन्तरीकरण का सुझाव।
- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ।
- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना ।

- वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं नीतियों का विशलेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यन्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना ।
- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विशलेषण करना ।
- सरकारी निगमों एवं बोर्डो की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना ।
- जिला स्तर पर योजना स्कीमों के कार्यन्वयन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा इन कठिनाईयों के निराकरण एवं समाधान के उपाय सुझाना ।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं निगमों का मूल्यांकन करना ।

वर्ष 2018–19 के लिए मु0 6300.00 करोड़ रू0 के आकार को अनुमोदित किया गया था ।

3.2. मुख्यालयः

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :–

1.	सम्बन्धित मंत्री	माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
2.	प्रशासनिक सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
3.	विभागाध्यक्ष	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्पयूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना, रेलवे, 20–सूत्रीय कार्यक्रम तथा आर.आई. डी.एफ. कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक/ उप–निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं । संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं । प्रभागानुसार उद्देश्य, कार्यक्रम, आबंटन, व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

I. प्रशासन प्रभागः

संयुक्त निदेशक, (योजना) को विभाग में कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया गया हैं । प्रशासन प्रभाग संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है ।

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कार्य करता है । प्रभाग के मुख्य कार्य जैसे कि रिक्त पदों का भरना, पदोन्नति, स्थानांतरण, अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिर्पोट, स्थाईकरण, भण्डार, स्थापना, बजट, लेखा आपत्ति, पीएसी, सीएजी, व अन्य विविध कार्य जो प्रभाग को सौंपे गए हैं, किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित किए गए हैं।

योजना प्रारूपण प्रभाग

1. राज्य की वार्षिक योजना (2019–20) का प्रारूपीकरण :

यधपि नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा पँचवर्षीय / वार्षिक योजनओं का प्रारूपीकरण समाप्त कर दिया गया है परन्तु योजना की भूमिका को नजरअंदान नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राज्य के सामाजिक और आर्थिक दायित्व को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आयोजना और उचित उपयोग करने के लिए आवश्यक है। योजना प्रारूपण प्रभाग मुख्य रूप से राज्य बजट के योजना भाग को तैयार करता है । प्रभाग द्वारा विभिन्न बैठकों के आयोजन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों का योजना आकार तय किया जाता है । इस प्रक्रिया के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस योजना आकार में सभी उप–योजनाओं जैसे कि जन जातीय उप–योजना , अनुसूचित जन जाति उप– योजना व पिछड़ा क्षेत्र उप– योजना का प्रतिशत मानदण्ड सुनिश्चित रहे। इसके अतिरिक्त प्रभाग नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों व केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। योजना प्रारूपण प्रभाग द्वारा राज्य के वार्षिक योजना प्रारूप (2019–20) को तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अमल में लाई गयी थी :–

(क) सभी विभागों से राज्य सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा तैयार किए गए ऑनलाईन साफटवेयर (ई– वितरण) पर सितम्बर,2018 में योजना प्रस्ताव मंगवाए गए ।

(ख) वार्षिक योजना (2019-20) के प्रारूपीकरण हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ योजना प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु चर्चा के लिए अक्तूबर,2018 में श्रृंखलावार बैठकों का आयोजन किया गया ।

(ग) विस्तृत विचार विर्मश के उपरान्त वार्षिक योजना (2019–20) का योजना आकार तैयार किया गया तथा सभी विभागों को योजना परिव्यय विशिष्ट चिन्हाकित के साथ स्कीमवार बजट तैयार करने के लिए ऑनलाईन जारी किए गए। विभागों द्वारा स्कीमवार तैयार किए गए योजना प्रस्तावों की जाँच पड़ताल व त्रुटियों के निवारण उपरान्त उन्हे वित विभाग को वार्षिक बजट (2019–20) में अनुदान माँगों में सम्मिलित करने हेतू ऑनलाईन प्रेषित किया गया ।

(घ) वार्षिक योजना (2019–20) का आकार 7100 करोड़ रूपये प्रस्तावित कर ड्रॉफ्ट प्रारूप तैयार किया गया।

(ड) 16 जनवरी, 2019 को माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड की बैठक में प्रदेश की वार्षिक योजना 2019–20 को अनुमोदित किया गया जिसे विधानसभा द्वारा भी पारित किया गया है।

सैक्टरवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

(रू0करोड़ों में)

क्रम संख्या	सैक्टर	वार्षिक योजना (2019–20) का प्रस्तावित परिव्यय
1.	**2.**	**3.**
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	877.25
2.	ग्रामीण विकास	133.65
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	27.78
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	457.48
5.	ऊर्जा	711.06
6.	उद्योग एवं खनन	95.59
7.	संचार एवं परिवहन	1241.98
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	38.02
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	335.15
10.	सामाजिक सेवाएं	3048.15
11.	सामान्य सेवाएं	133.89
	कुल	**7100.00**

योजना कार्यान्वयन प्रभाग (2018–19)

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त, योजना बजट का कार्यान्वयन निम्न ढंग से शुरु होता हैः–

1. यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त विचलन और पुनर्विनियोजन प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण करता है। आवश्यकता व प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए ही विचलन या पुनर्विनियोजन की अनुमति दी जाती है।
2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिसमें व्यय की संभावनायें कम हों या कोई परियोजना जिसकी चालू वर्ष में क्रियान्वयन की संभावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है।
3. आधिक्य प्रस्तावों को तत्काल निपटाने के लिये विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।
4. इस अवधि में सभी सम्बन्धित विभागों से उनके प्रशासनिक विभागों के माध्यम से पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव चिन्हांकित व गैर चिन्हांकित मदों में जांच और परीक्षण के लिये आमंत्रित किये गए।
5. इस अवधि में 501 मामले विभिन्न विभागों से प्रशासनिक विभागों के माध्यम से परामर्श हेतु योजना कार्यान्वयन प्रभाग में प्राप्त हुए,

इनका परीक्षण किया गया तथा सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदनोपरान्त प्राप्त करने के उपरान्त उचित परामर्श सम्बन्धित विभागों को दिया गया।

6. बजट के अनुरूप योजना कार्यान्वयन निर्विघ्न करने के लिये सम्पूर्ण वार्षिक योजना को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बजट से जोड़ा गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना कार्यन्वयन प्रभाग द्वारा इस अवधि के दौरान निम्न गतिविधियां भी की गई :–

1. बजट आश्वासन

इस प्रभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के बजट भाषण में दिये गए बजट आश्वासनों की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी कार्यान्वयन विभागों से सूचना एकत्रित व समेकित की गई।

2. केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का प्रदेश की आर्थिकी में विशेष स्थान है क्योंकि यह प्रदेश के स्त्रोतों का अनुपूरण करती हैं। वर्तमान में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें या तो शत प्रतिशत या केन्द्र और राज्य में विभिन्न अनुपातों में चल रही हैं। इस प्रभाग ने कार्यन्वयन विभागों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के वित्तीय निहितार्थ और समकक्ष योजना में राज्य प्रावधानों पर परामर्श दिये हैं।

पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना प्रभागः

प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना शुरू की गई है । प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति 1995–96 से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना से सम्बन्धित नीति में सरकार के निर्णयानुसार समय–समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं । नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैंः–

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना राज्य के दस जिलों में(जनजातीय जिलो को छोड़कर)कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछड़ा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

(i) **पिछड़े घोषित विकास खण्ड** : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायते पिछड़ी घोषित हों, पिछड़े विकास खण्ड घोषित किए गए हैं । प्रदेश में कुल नौ विकास खण्ड पिछड़े घोषित हैं जिनमें कुल 316 पिछड़ी पंचायतें आती हैं ।

(ii)**कंटीगुअस ;ब्वदजपहनवनेद्ध पंचायतें** : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछड़ी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछड़ी पंचायतों का समूह घोषित किया गया । प्रदेश में कुल 15 पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 133 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।

(iii)**बिखरी पंचायतें**: जिन पिछड़ी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछड़ी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछड़ी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित किया गया । प्रदेश में कुल 110 बिखरी हुई पिछड़ी पंचायतें हैं।

(ग) चयनित 13 विकास शीर्षो में पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए परिव्यय चिन्हांकित किया जाता है ।

(घ) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है ।

(ङ) जिलों को पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछड़ी पंचायतों के अनुपात मे किया जाता है ।

(च) उप योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है । उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को इस उप–योजना का क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

प्रदेश में कुल 3226 पंचायतों में से 559 पंचायतें पिछड़ी घोषित की जा चुकी हैं । सरकार द्वारा उप–योजना के लिए अलग बजट की व्यवस्था मांग संख्या–15 ;योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप–योजनाद्ध में की जाती है। वर्ष 2017–18 के लिए मु0 54ण्47करोड़ रू0 का बजट प्रावधान योजना में पूंजीगत कार्यो के लिए रखा गया था और वर्ष

2018–19 के लिए पूंजीगत शीर्षों के लिए मु0 59.45 करोड़ रू0 का बजट प्रावधान योजना में रखा गया है।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2018–19 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए पूंजीगत परिव्यय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

रू0लाखों में)

क्रम संख्या	जिला	पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या	पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 2018–19परिव्यय/व्यय (पूंजीगत)	
			योजना परिव्यय	अनुमानित व्यय
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	बिलासपुर	15	163.03	163.03
2.	चम्बा	159	1728.07	1724.56
3.	हमीरपुर	13	141.29	139.62
4.	काँगड़ा	17	184.76	184.76
5.	कुल्लू	79	858.60	858.60
6.	मण्डी	161	1619.38	1619.38
7.	शिमला	83	902.07	902.07
8.	सिरमौर	26	282.58	282.58
9.	सोलन	3	32.61	32.61
10.	ऊना	3	32.61	32.61
	योग	**559**	**5945.00**	**5939.82**

<u>क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग</u>

राज्य स्तर पर योजना विभाग में विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के संचालन तथा अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

आधारभूत स्तर पर आधारिक संरचना के रूप में विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों की प्रभावी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा सरकार के प्रयासों / स्त्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए विकास में जन सहयोग कार्यक्रम को 1991–92 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक रूप में व अग्रिम नकद भागीदारी द्वारा है जिसको सम्बन्धित उपायुक्त के नाम बैंक / डाकघर में खोले गए खातों में जमा करवानी पड़ती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 21.25 करोड़ रूपए की धनराशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 22.00 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः–

1. शहरी क्षेत्रों में, सामुदायिक और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 50:50 है, जबकि सरकारी परिसम्पतियां जैसे स्कूल भवन, स्वास्थ्य संस्थान एवं पशु चिकित्सा संस्थान, पेयजल आपूर्ति व सीवरेज़ योजनाओं का निर्माण और हैण्डपम्प स्थापित करने के लिए लागत भागीदारी 25:75 है, लेकिन इस सुविधा का प्रयोग समुदाय के लिए होगा न की किसी परिवार अथवा व्यक्ति विशेष के लिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में, समुदाय और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 25:75 है, परन्तु जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़ा घोषित पंचायतों और मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा बसे क्षेत्रों में समुदायक और सरकारी लागत भागीदारी 15:85 है।
3. कोई व्यक्ति सार्वजनिक सम्पति, कार्य की लागत का 50: हिस्सा देकर निर्माण करवा सकता है जो विशुद्ध रूप से परोपकारी रूप में हो या अपने पूर्वजों के पुण्यस्मरण के लिए हो।
4. स्वीकृत कार्यो का निर्माण स्वीकृति के एक वर्ष के अन्तराल में पूर्ण करना पड़ता है।
5. जिन परिसम्पतियों का रखरखाव करना होता है उनके रखरखाव के लिए समुदाय और सरकार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रतिबध है।
6. सभी कार्य जिनकी अनुमानित लागत 5.00 लाख रूपए से अधिक है का निर्माण सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है न की सोसाईटियों / स्थानीय समितियों द्वारा।
7. 5.00 लाख रूपए तक के कार्यो का कार्यन्वयन ग्रामीण विकास विभाग के सहायक/ कनिष्ठ अभियन्ता की देख रेख में किया जाना सुनिचित किया जाता है और प्रत्येक कार्य के नपाई उस क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक की माप–पुस्तक (उमेंनतमउमदज इववाद्ध में किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रकार की परियोजनाएं/ परिसम्पतियां स्वीकृत की जा सकती हैः–

1. सरकारी शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण।
2. बहुउद्देशीय सामुदायिक/ सार्वजनिक परिसम्पतिों का निर्माण।
3. मोटर योग्य सड़कों एवं रज्जू मार्गो का निर्माण।
4. सिंचाई योजनाओं / पेयजल स्कीमों का निर्माण/ हैण्ड पम्पों की स्थापना।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के भवनों का निर्माण।
6. महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकस का प्रावधान जैसे कि तीन फेज की बिजली की लाइनें, एक्सरे प्लांट और रोगी वाहन इत्यादि।
7. आवारा जानवरों के लिए गो– सदन की स्थापना।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1993–94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया था। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यन्वयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 69.95 करोड़ रूपए की धनराशि व्यय की गई। वित्तिय वर्ष 2019–20 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 79.52 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः–

1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों की स्वीकृति जिला स्तरीय योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही की जाती है।

2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल ऐसे कार्यो पर ही विचार किया जाना चाहिए जिनके प्राक्कलन तथा डिजाईन तकनीकी रूप से तकनीकी प्राधिकरी / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रमों में तकनीकी शक्तियों के दायरे में किया हो। सरकारी कर्मियों/तकनीकी अधिकारी जो तकनीकी रूप से प्राक्कलनों को अनुमोदित कर सकता है वह ही कार्य का आकलन और भुगतान के संवितरण को प्राधिकृत करने में सक्षम है।

3. उपायुक्त स्थानीय जिला नियोजन के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। बशर्ते कि चयनित विकास मदों और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान हो।

4. इस योजना के अन्तर्गत न ही किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय/ दायित्व और न ही स्वीकृतियाँ को इकट्ठा व किसी कार्य को वितीय वर्ष से अधिक चरणवद्ध करना स्वीकार्य है।

5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाने वाले कार्यो को समुदाय को लाभान्वित करना चाहिए जिसमें कम से कम पाँच परिवार होने चाहिए। कोई भी कार्य व्यक्ति विशेष / एकल परिवार को लाभान्वित करता हो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नही किया जाता है।

6. स्थानीय जिला क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हीं कार्यो को स्वीकृत किया जाता है जिनका निर्माण एक ही वितीय वर्ष या स्वीकृति से एक वर्ष के अन्तराल में किया जाना होता है।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजनाः

प्रदेश सरकार ने विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999–2000 से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना शुरू की है। इस योजना को वर्ष 2001–02 में बन्द कर दिया था परन्तु वर्ष 2003–04 में 24.00 लाख रू0 बजट प्रावधान प्रति निर्वाचन क्षेत्र के साथ आरम्भ कर दिया है। प्रदेश सरकार वर्षानुवर्ष इस योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधन बढ़ा रही है वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1.25 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार किया गया था। जिसे वितिय वर्ष 2019–20 में बढ़ाकर 1.50 करोड़ रूपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया है।

इस स्कीम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण माननीय विधायको की प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है। इस योजना से सभी श्रेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित किया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 81.65 करोड़ रूपए की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 2019–20 में इस योजना के लिए 102.00 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किए जा सकते हैः–

1. विभिन्न पाठशालाओं में कमरों का निर्माण।
2. आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण।
3. हैंड पम्पों की स्थापना।
4. ऐसे गावों के लिये मोटर योग्य अथवा जीप योग्य लिंक सड़कों का निर्माण जो पहले से सड़कों से न जुड़े हुए हों।
5. गांवों में सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण जो कि गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकें।
6. स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे उपकरणों का प्रावधान जो वहां पहले से विद्यमान न हों जैसे कि एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासांऊड मशीनें, ई.सी.जी. मशीनें इत्यादि।

7. स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एम्बूलैंस का क्रय बशर्ते कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए संबंधित संस्था/विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।
8. ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों अथवा पुलियों का निर्माण, विभिन्न खड्डों, नदी–नालों इत्यादि पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए थ्ववज ठतपकहमे का निर्माण।
9. ग्रामीण रास्ते केवल पक्के बवदबतमजम ईंमक वत इसंबा जवचचमक तथा जिसमें दो पहिया वाहन चल सकें।
10. छूटी हुई बस्तियों के लिए पेय जल योजनायें जहां अतिरिक्त पाईप लगा कर सार्वजनिक नल लगाए जाने की आवश्यकता हो।
11. स्थानीय स्तर की सिंचाई स्कीमें।
12. पाठशालाओं में शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त बस अड्डा आदि स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण भी करवाया जा सकता हैं।
13. दूर–दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतिकरण (LT Extensions).
14. स्कूल भवनों की मुरम्मत तथा स्कूल के खेल मैदानों का निर्माण कार्य।
15. पंचायतों तथा शहरी निकायों में व्यायामशाला के निर्माण का कार्य।
16. बस स्टैण्डों का निर्माण व रख–रखाव।
17. ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों की मुरम्मत जैसे कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि।
18. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मुरम्मत व रख–रखाव।
19. सामुदायिक ॅप.थ्प लगाने का प्रावधान ;छवद.तमबनततपदह मगचमदकपजनतमद्धण
20. निर्माण कार्यों के साथ–साथ–अन्य लोक कल्याणकारी योजनाऐं जैसे कि स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, स्कूलों में खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर तथा कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना, महिला मण्डलों को बर्तन(अधिकतम 20,000/–रूपये प्रति महिला मण्डल) तथा फर्नीचर क्रय आदि भी किया जा सकता हैं।

4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजनाः

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को नजदीकी मोटर योग्य सड़को से जोड़ने के उद्देश्य से कच्चे रास्तों को पक्का किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी मौसम में कनैक्टीविटी प्रदान करने के लिए पुलियों / पुलों का भी निमार्ण करना। प्रदेश सरकार ने पहाड़ी और मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों के मध्यनज़र 2 कि0मी0 तक जीप योग्य / ट्रैक्टर योग्य सम्पर्क मार्गो के निर्माण की अनुमति दी है। मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए वर्ष 2003–04 में आरम्भ की है। वर्ष 2004–05 में इस योजना को बन्द कर दिया था और वर्ष

2008–09 में पुनः शुरू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम में 5.50 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान था। इस योजना के अन्तर्गत 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए वर्ष 2019–20 में 6.00 करोड़ रू0 का बजट प्रावधान किया गया है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः–

इस योजना के अन्तर्गत बजट धनराशि का आंबटन योजना विभ

1. इस योजना के अन्तर्गत बजट धनराशि का आंबटन योजना विभाग द्वारा उपायुक्तों को जिले की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले में आबाद गांवों की संख्या में 50:50 के अनुपात पर किया जाता है।

2. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नही किए जाएगें और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी।

3. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित पक्के सम्पर्क रास्तों का रख–रखाव सम्बन्धित पंचायत अपन स्त्रोत/ राजस्व से करेगें। इस प्रकार का अनुबन्ध स्वीकृति प्रदान करने से पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत से लेना आवश्यक होगा।

4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य के तकनीकी अनुमानों का अनुमोदन ग्रामीण विकास विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता निर्धारित तकनीकी शक्तियों के अनुसार करेंगे।

5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित कार्यो को जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति में अनुमोदित करवाना आवश्यक है।

6. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले पक्के रास्तों का कार्यान्वयन स्वीकृत धनराशि के अन्दर ही होगा। इस योजना के अन्तर्गत संशोधित स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होगा।

7. सड़क की अलायनमेंट लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित होनी चाहिए ताकि जीप योग्य सड़क को बाद में अपग्रेड करके बस योग्य सड़क लोक निर्माण विभाग के मानदंडो के अनुसार बनाया जा सकें।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाः

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माननीय संसद सदस्यों द्वारा अपने – अपने निर्वाचन क्षेत्रों के पूंजीगत छोटे–छोटे कार्यो क्रमशः पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जनस्वास्थ्य और सड़कों इत्यादि को करने की अनुशंसा की जाती है। कार्यो की स्वीकृतियां उपायुक्तों द्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा

प्रत्येक संसद सदस्य को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपए उनकी अनुशंसा पर विभिन्न कार्यो के लिए जारी की जाती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निम्न सेक्टर की स्कीमों को किया जा सकता हैः–

1. पेयजल सुविधा।
2. शिक्षा।
3. विद्युत सुविधा।
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. सिंचाई सुविधाएं।
6. गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
7. अन्य लोक सुवधिाएं।
8. रेलवें, सड़कें, पगडंडी और पुल।
9. सफाई और जन स्वास्थ्य ।
10. खेलकूद।
11. पशु देखभाल,डेयरी तथा मत्स्य पालन संबंधी कार्य।
12. कृषि से संबंधित कार्य।
13. हथकरघा बुनकरों के लिए कलस्टर विकास से संबंधित कार्य।
14. शहरी विकास से संबंधित कार्य।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान निम्न कार्य भी निष्पादित किए गएः–

1. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की संसदीय समिति ने 28 से 29 मई, 2018 तक हिमाचल प्रदेश राज्य में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत किए गए कार्यो के कार्यान्वयन का आक्कलन करने के लिए हि0प्र0 राज्य का दौरा किया था। इस ऑन–द–स्पॉट जांच/ अध्ययन दौरे में इस योजना के तहत कार्यो के कार्यान्वयन की जांच के लिए लोक सभा समिति के माननीय सदस्यों ने शिमला और उसके आस–पास का दौरा किया। संसदीय समिति के माननीय सदस्यों ने 29 मई,2018 को माननीय मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में बैठक की गयी। बैठक में उठाये गये मुद्दों पर कार्यवाही करने हेतु सभी उपायुक्तों को अवगत करवाया जा चुका है।

2. योजना विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 30–10–2018 को 11.30 बजे अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) की अध्यक्षता में जिला योजना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे एस.डी.पी., वी.के.वी.एन. वाई. वि.एम.जे.एस. और एम.एम.जी.पी.वाई से संबंधित बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई। समीक्षा बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित प्रभागाध्यक्षों योजना विभाग और समस्त जिला योजना अधिकारियों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा में 14–12–2018 को जिला योजना अधिकारी कांगड़ा, चंबा,

हमीरपुर और ऊना के साथ द्वितीय समीक्षा बैठक की गई। जिसमें जिला योजना अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अनुवर्ती कार्यवाही और विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र / समापन प्रमाणपत्रों की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की गई।

4. हिमाचल प्रदेश सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन–सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के लिए ड्राफ्ट पैरा "Misutilisation of Sectoral Deccentralisded Planning funds (क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना में धन का दुरूपयोग½" rFkk "Sanction of funds for inadmissible works under member of Parliament Local Area Development Scheme and Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana" से संबंधित सूचना उपायुक्तों से एकत्रित की गई तत्पश्चात् संकलित करके प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला–3 को भेज दिया गया।

बाह्य–सहायता परियोजना

राज्य के पास अपनी विकासात्मक गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए दुर्लभ संसाधन आधार है;बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) राज्य के अपने संसाधनों के पूरक के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईएपी हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों में से एक है और अनुदान के 90:10 के अनुपात में ईएपी के तहत धन का ऋण घटक भारत सरकार से प्राप्त करता है ।

योजना विभाग ने बाह्य सहायता परियोजना प्रभाग को विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य वित्त सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं के विशलेषण का कार्य दिया गया है। योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ प्राधिकरणों, निजि निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रबन्धन के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एंव वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना है । उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एंव अनुश्रवण करता है। यह प्रभाग सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतु पत्राचार करता है। प्रशासनिक सचिव, योजना, हि0प्र0 सरकार को प्रदेश की सभी बाह्य–सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियक्त किया गया है ।

राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण, वानिकी, सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य, बिजली, पर्यटन, कृषि और बागवानी, शहरी विकास आदि के क्षेत्रों में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को लागू कर रही है तथा उपरोक्त और अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार की कई परियोजनाएं बाह्य फंडिग एजेंसिज और भारत सरकार के अधीन पाइपलाईन में हैं। इन परियोजनाओं के

कार्यान्वयन से उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने और विशेष रूप से ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बहुपक्षीय विकास बैंको (एमडीबी) और द्विपक्षीय सहयोग एजेंसियों से बाह्य सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर परियोजना को भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) को अस्थाई वित्तीय विवरण के साथ तैयार करना आवश्यक है । इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश सभी विभागों को समय–समय पर अनुपालन के लिए प्रेषित किए जाते हैं । 17 मई , 2018 के पत्र द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्तुतिकरण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों में संशोधन के परिणामस्वरूप भारत सरकार की प्रक्रियागत आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे सभी प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजने से पहले वित विभाग के पत्र दिनांक 12 जून, 2018 द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से समीक्षा/अनुमोदन किया जा रहा है।

1 नवम्बर, 2018 से राज्य के सभी प्रस्तावों को आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के एक वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जो बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ–साथ द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे एएफडी जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA), जी. आई.जैड तथा के.एफ0डब्ल्यू. (जर्मन एजैंसी) आदि से बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध है। सलाहकार (योजना) को इस पोर्टल के संचालन के लिए राज्य नोडल प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। योजना विभाग ने तद्नुसार ईएपीएस के तहत वित पोषण के लिए ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उन्हें भारत सरकार में प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर की समिति द्वारा राज्य क्षेत्र के प्रस्तावों की जांच करने के लिए व्यापक और सरलीकृत दिशा–निर्देश और प्रक्रिया तैयार करके मौजूदा दिशा–निर्देशों को तद्नुसार संशोधित किया है।

2018–19 के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)

रूपये करोड़ों में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लागत	शुरू करने की तिथि	समापन तिथि	टिप्पणी
1.	हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अधोसरंचना विकास निवेश कार्यक्रम	685.15	2010	2020	चल रही है
2.	हि0प्र0 फसल विविधीकरण उन्नत परियोजना	321.00	जुलाई,2011	दिसम्बर, 2020	चल रही है
3.	हि0 प्र0 फॉरेस्ट ईको सिस्टम जलवायु प्रूफिंग परियोजना	308.45	अप्रैल, 2015	मार्च, 2022	चल रही है
4.	हि0 प्र0 उद्यान विकास परियोजना	1135. 67	जून, 2016	जून, 2023	चल रही है

5.	हि0प्र0 क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम	2842.35 (USD 406.05 Million)	जनवरी, 2012	मार्च, 2019 (ट्रैंच–1)दिसम्बर, 2019 (ट्रैंच–2) एवं 2021 (ट्रैंच–3)	चल रही है
6.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना	650.00 (USD 100 Million)	2018	2023	मार्च, 2018 में एडीबी के साथ ऋण समझौता
7.	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका के सुधार के लिए परियोजना	800.00	2018–19	2027–28	मार्च 2018 में टोक्यो में जे.आई.सी.ए. के साथ ऋण समझौता
8	शिमला जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना (डीपीएल–1)	986.00 (USD 135 Million)	2019	2025	जनवरी 2019 में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित 40 Million अमरीकी डालर का डीपीएल–1
	कुल	**7728.62**			

2018–19 में बाह्य सहायता के लिए भारत सरकार को प्रस्तावित राज्य क्षेत्र प्रस्तावों की सूचीः

(रूपये करोड़ों में)

क्र0 सं0	**परियोजना का नाम**	**अनुमानित लागत**	**डोनर एजेंसी**
1.	हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना (HP SHIVA)	1688.00	ए.डी.बी.
2.	रिमॉडलिंग/पुराने ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का नवीनीकरण चार क्षेत्रों आई.पी.एच. विभाग के धर्मशाला, मण्डी, शिमला और हमीरपुर के अर्न्तगत 13 सर्किलों को कवर करते हुए	798.19	ए.डी.बी.
3.	जल संरक्षण (चरण–1) के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना	708.87	ए.डी.बी.
4.	हि0प्र0 एकीकृत मशरूम विकास परियोजन	423.00	ए.डी.बी.
5.	हिमाचल प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना का विकास	1892.00	ए.डी.बी.
6.	हिमाचल प्रदेश बाढ़ और नदी प्रबंधन परियोजना	3350.00 (USD 487-5 Million @ 1USD=68.72))	ए.आई.आई.बी.
	कुलः–	**8860.06**	

2018–19 के दौरान पुनर्जीवित परियोजनाएं			
7.	हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना (HPSRP-II)	770.00 (USD 110 Million)	विश्व बैंक
8.	स्त्रोत स्थिरता और जलवायु लचीला वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना (एचपी मिड–हिमालयन प्रोजेक्ट का चरण–2)	700.00	विश्व बैंक
	कुल योगः	**10330.06**	

<u>राज्य स्तर पर नवाचारः</u>

हिमाचल प्रदेश को एक इनोवेटिव राज्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने व विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों के आदान–प्रदान द्वारा राज्य स्तर पर नवाचार को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गये है।

राज्य नवाचार परिषद् –राज्य स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च निकाय

स्थानीय प्रतिभाओं, दक्षताओं, संसाधनों और क्षमताओं के लिए एक आम प्लेटफार्म प्रदान करके इनोवेटिव प्रक्रियाओं और प्रथाओं को संस्थागत बनाने के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2011 में हिमाचल प्रदेश राज्य नवाचार परिषद् का गठन किया, जिसमें राज्य के प्रमुख विभागों, तकनीकी संस्थानों और विश्वद्यिालयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। नए विचारों को आगे बढाने के लिए, परिषद ने राज्य स्तर पर दो आयामी रणनीति अपनाई हैः

1. राज्य इनोवशन फंडः नए व इनोवेटिव विचारों को वास्तविकता में कम लागत पर लागू कर इन्हें रेपलिकेबल बनाने के लिए gap-funding की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य इनोवशन फंड का गठन किया गया है।

2. राज्य इनोवेशन अवार्ड योजनाः किसी व्यक्ति/विभाग/संस्था द्वारा अपने स्तर पर आरम्भ और पूरी की गई ऐसी इनोवेटिव परियोजनाओं, जो कि कम लागत वाली होने के साथ–साथ बड़े पैमाने पर आम जनता की आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं, को पहचानने के लिए हि0प्र0 राज्य इनोवेशन अवार्ड योजना भी शुरू की गई है।

1. **<u>राज्य इनोवशन फंडः</u>** विभिन्न विभागों की इनोवेटिव परियोजनाओं को निधि देने के लिए 2013–14 में इस कोष का गठन किया गया था।

फंड का उद्देश्यः

- सरकारी विभागों को नई पहल आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आम जनता के लिए सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी विभागों के कामकाज में उत्कृष्टता और रचनात्मकता को बढावा देना।

राज्य इनोवशन फंड से वित्त पोषित इनोवेशन्सः पिछले पांच वर्षो के दौरान, विभिन्न विभागों की पन्द्रह योजनाओं/परियोजनाओं को राज्य इनावेशन फंड (एसआईएफ) से वित्त पोषित किया गया हैः

- जिला प्रशासन चंबा की मणीमहेश यात्रा परियोजना।
- रक्त बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली (बीबीएमआईएस)।
- सूचना और जनसंपर्क विभाग की विभिन्न गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण (स्वचालन)।
- लोक निर्माण विभाग के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और ट्राईबल मंडलों में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करना।
- राशन कार्ड फार्मों की दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (DMS)।
- हि0 प्र0 कृषि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हि0प्र0 पर केन्द्रित विशेष खंड का डिजिटलीकरण।
- टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का ऑनलाइन योजना अनुमति प्रोजेक्ट।
- हिमाचल प्रदेश सचिवालय लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण।
- पशुपालन विभाग की मेडिसिन/वीर्य स्ट्रॉज के लिए ऑनलाइन इन्वेंटरी एप्लीकेशन।
- हिमुडा के आवंटन व प्रशासनिक शाखा के ऑटोमेशन के प्रथम चरण का कार्यान्वयन।
- कचरा एकत्रित करने के लिए निरंतर कचरा एकत्रित प्रणाली का प्राटोटाइप विकसित करना।
- RFSL मंडी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में अत्याधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक सुविधाओं के विकास से संबंधित परियोजना।
- RFSL-NR धर्मशाला में वीडियों कॉन्फ्रैंसिंग सुविधाओं को स्थापित करने के लिए परियोजना।
- आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र चियोग में मिनी हर्बल गार्डन व एक्यूप्रैशर ट्रैक की स्थापना।
- हॉर्न नॉट ओके कैंपेन।

2. सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को पुरस्कृत करने के लिए <u>हि0प्र0 राज्य इनोवेशन अवार्ड योजना</u>ः

अभिनव विचारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 2014–15 से हि0प्र0 राज्य इनोवेशन पुरस्कार योजना शुरू की गई है। नवाचार, जो सेवा वितरण में सुधार करते हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उन्हें राज्य स्तर पर मान्यता प्रदान कर पुरस्कृत किया जाता है। शुरूआत में इस योजना के अंतर्गत छः क्षेत्रों को चयनित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र का एक सर्वोत्तम नवाचार क्षेत्रीय स्तर पर जांच के बाद निश्चित मानदंडों के अनुसार चुना जाता है तथा राज्य स्तर पर राज्य इनोवेशन परिषद के अनुमोदन के पश्चात् चुने गए नवाचारों को पुरस्कृत किया जाता है।

2014–15 के लिए पुरस्कार जीतने वाले नवाचार

1. फलों के मक्खियों के खिलाफ प्रभावी स्थानीय जेनरिक पैरा फेरोमोन आधारित बोतल जाल।
2. हिमाचल प्रदेश के जिलों के लिए भूकम्प प्रतिरोधि गैर इंजिनियरिंग भवन निर्माण मार्ग निर्देशिका।
3. लो कॉस्ट बायो–सैंड फिल्टर के विकास के माध्यम से पीने के पानी से जैविक और शारीरिक अशुद्धियों को हटाना।

2015–16 के लिए पुरस्कार जीतने वाले नवाचार

1. सामाजिक विकास क्षेत्र में टेली–स्ट्रोक परियोजना।
2. व्यावसायिक फसल हरड़ (टर्मिनलिया चेबूला)की जलवायु लचीला प्रजातियों की अधिक उपज देने वाली किस्में।
3. मसाला मिश्रण पकाने के लिए तैयार–उत्पादों
4. मानक 3–5 के बच्चों के बीच सीखने के अंतराल को संबोधित करने के लिए UDAAN कार्यक्रम
5. सरकारी क्षेत्र में ई–सेवा परियोजना

2016–17 के लिए पुरस्कार जीतने वाले नवाचार

1. शिमला–मिर्च, टमाटर और ककड़ी में एक स्टेम कटिंग प्रसार तकनीक
2. प्राथमिक शिक्षा विभाग में समय पर पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए मिशन
3. पहाड़ों के लिए घरेलू सौर जल तापन पैनल (सौर हमाम)
4. जेल और सुधार सेवा विभाग का अभियान–हर हाथ को काम

नाबार्ड–ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आर.आई.डी.एफ.) प्रभागः

वर्ष 1995–96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित मन्त्री ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू–संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कें, मार्किट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा । आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ–1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबार्ड से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था । इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ. II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII तथा XXIV के अर्न्तगत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

2. राज्य सरकार नाबार्ड से आर0 आई0 डी0 एफ0 के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है । मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाऐं अनुमोदित करवाई है या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण ।
2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ।
3. बाढ़ नियन्त्रण कार्यो का निर्माण ।
4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण ।

5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण ''सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना'' ।

6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना ।

7. ई–अभिशासन (E-Governance) ।

8. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण ।

9. जल प्रवाह विकास योजना ।

10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण ।

11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना ;पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई) ।

12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना ।

13. वातानुकूलित भण्डारण निर्माण ।

3. नाबार्ड द्वारा दिनांक 31–03–2019 तक प्रदेश सरकार को 7398 करोड़ रू0 की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

; करोड़ रू0 में)

ट्रांच संख्या	**कार्यक्रम की अवधि**	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**नाबार्ड ऋण सहायता**	**राज्य अंशदान**	**कुल स्वीकृत राशि**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 से 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ-II	1996-97 से 1998.99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ-III	1997-98 से 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ-IV	1998-99 से 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ -V	1999-2000 से 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 से 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35

आर.आई.डी.एफ-VII	2001-02 से 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ-VIII	2002-03 से 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04 से 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ -X	2004-05 से 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 से 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ-XII	2006-07 से 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
आर.आई.डी.एफ-XIII	2007-08 से 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
आर.आई.डी.एफ-XIV	2008-09 से 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
आर.आई.डी.एफ-XV	2009-10 से 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
आर.आई.डी.एफ-XVI	2010-11 से 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
आर.आई.डी.एफ.XVII	2011-12 से 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
आर.आई.डी.एफ.XVIII	2012-13 से 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
आर.आई.डी.एफ-XIX	2013-14 से 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
आर.आई.डी.एफ-XX	2014-15 से 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
आर.आई.डी.एफ-XXI	2015-16 से 2018-19	170	644.94	60.75	705.69

आर.आई.डी.एफ-XXII	2016-17 से 2019-20	125	545.54	60.20	605.74
आर.आई.डी.एफ-XXIII	2017-18 से 2020-21	181	510.60	50.54	561.14
आर.आई.डी.एफ-XXIV	2018-19 से 2021-22	204	544.21	86.04	630.25
	कुल योगः (I ls XXIV)	**5781**	**7397.90**	**757.23**	**8155.13**

4. दिनांक 31–03–2019 तक उपरोक्त स्वीकृत नाबार्ड ऋण सहायता राशि 7398 करोड रू0 में से प्रदेश सरकार ने 5591 करोड़ रू0 की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है। नाबार्ड से प्राप्त आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्तियों का वर्ष 1995–96 से 2018–19 तक विवरण निम्न तालिका में है :–

वर्ष	**प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ (करोड़ रू0 में)**
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38

2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
2016-17	500.00
2017-18	500.00
2018-19	625.76
Total	**5590.70**

5. नाबार्ड ऋण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (2006–07 से 2018–19):

(करोड़ रू0 में)

क्रम संख्या	**वर्ष / ट्रांच**	**ऋण स्वीकृत लक्ष्य**	**उपलब्धियाँ**	**प्रतिशतता**
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	560.00	412.90	73.73
6.	2011-12 (XVII)	540.00	423.69	78.46
7.	2012-13 (XVIII)	500.00	432.16	86.43
8.	2013-14 (XIX)	475.00	496.09	104.44
9.	2014-15 (XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47
11.	2016-17 (XXII)	545.00	545.54	100.10
12.	2017-18 (XXIII)	500.00	510.60	102.12
13.	2018-19 (XXIV)	515.00	544.21	105.67

6. प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित करना तथा योजनाओं की समीक्षा, इत्यादि के सम्बन्ध में योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है ।

7. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का ब्यौरा :–

क्रम संख्या	बैठक का नाम	बैठक की तिथि एवं स्थान	बैठक की अध्यक्षता
1.	2.	3.	4.
1.	आर0आई0डी0एफ0 की 49वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC)की बैठक	12–06–2018 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2.	आर0आई0डी0एफ0 परियोजनाओं की समीक्षा बैठक	13–11–2018 शिमला	अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

20–सूत्रीय कार्यक्रम प्रभागः

बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2018–19

बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 (बीसूका–2006) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता दूर करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उददेश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पहलुओं जैसे कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भू–सुधार, सिंचाई, पेयजल, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई–गवर्नेंस, इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ।

राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 में शामिल कार्यक्रमों/योजनाओं को राज्य सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय नोडल मत्रांलयों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर अनुश्रवण किया जाता है ।

पुनःसंरचित बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 में मूल रूप में 20 सूत्र और 65 अनुश्रवण योग्य मदें हैं जो कि प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग होती हैं । 2009–10 तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 के कार्यान्वयन का आकलन भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग के आधार पर होता था परन्तु उसके उपरान्त रैंकिंग को समाप्त कर दिया गया है ।

प्रत्येक अनुश्रवण/निगरानी वाली मद का त्रैमासिक/वार्षिक उपलब्धि के आधार पर **"बहुत अच्छा", "अच्छा"** और **"खराब/चिन्ताजनक"** श्रेणी में वर्गीकरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	प्रतिशतता उपलब्धि	श्रेणी
1.	2.	3.
1.	90 प्रतिशत एवं उससे अधिक	बहुत अच्छा
2.	80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत	अच्छा
3.	80 प्रतिशत से नीचे	खराब/चिन्ताजनक

2007 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है ।

जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियाँ सभी जिलों में त्रैमासिक बैठकों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती हैं । इन बैठकों की अध्यक्षता माननीय मुख्य मन्त्री/मन्त्री/विधायक द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों में उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी / जिला योजना अधिकारी भी समय–समय पर जिलों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा / अनुश्रवण करते हैं।

राज्य स्तर पर माननीय मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) एवं सलाहकार (योजना), हि0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न बैठकों में भी बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है ।

रेलवे प्रभाग (2018–19)

वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य में रेल सम्बन्धित कार्यों के लिए योजना विभाग प्रषासनिक विभाग था। रेलवे प्रभाग द्वारा रेलवे से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों जैसे भू–अधिग्रहण, समन्वय, अनुश्रवण व समीक्षा, इत्यादि का कार्य किया गया। वर्श 2018–19 के दौरान उत्तर रेलवे के अधिकारियों, त्ट्छस्ए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा व समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया। प्रदेष में मुख्य रूप से निम्न तीन रेल लाईनों का भू अर्जन / निर्माण कार्य किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेष में निर्माणाधीन तीन रेल लाईनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

1. **भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी– ब्रॉडगेज़ रेल लाईन(63.1 कि0मी0):** भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी नई रेल लाईन का निर्माण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) द्वारा किया जा रहा है। CCEA के निर्णय के अनुरूप, 25

प्रतिषत लागत राज्य सरकार (70 करोड़ रू0 से अधिक की समस्त भू अधिग्रहण लागत प्रदेष सरकार द्वारा वहन की जायेगी), 25 प्रतिशत रेलवे मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा व 50 प्रतिशत वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस रेल लाईन की संशोधित लागत रू0 1046 करोड़ से बढ़कर रू0 2967 करोड़ हो गई है। हिमाचल प्रदेष में पड़ने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भू मालिकों से बातचीत के माध्यम से भू–अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा वार्ता समिति (Negotiation Committee) का गठन किया गया है तथा भू अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार ने (प्रथम चरण 20 कि0मी0 तक) 315 बीघा भूमि में से 284.16 बीघा निजी भूमि रेलवे को हस्तान्तरित कर दी है। राज्य सरकार ने 6 गाँव में पड़ने वाली निजी भूमि 83.12 बीघा (20 कि0मी0 से आगे) को बातचीत के माध्यम से क्रय करने के लिए रू0 25 करोड़ की सहमति भी प्रदान की है। वर्श 2018–19 तक राज्य सरकार ने रू0 168.02 करोड़ की राषि रेलवे / आर.वी.एन.एल. को राज्य हिस्से के रूप में जारी कर दी है। भारत सरकार द्वारा 54.25 हैक्टेयर वन भूमि रेलवे को हस्तान्तरित करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है तथा राज्य सरकार ने रेलवे को वन भूमि हस्तान्तरण के लिए औपचारिक आदेष भी जारी कर दिये हैं।

2. **चण्डीगढ़–बद्दी रेल लाईन(33.23 कि0मी0):** हरियाणा व हिमाचल प्रदेष राज्य से गुजरने वाली इस रेल लाईन का निर्माण कार्य उत्तर रेलवे द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस रेल लाईन की अनुमानित लागत मु0 1672.70 करोड़ रू0 है। इस परियोजना का Funding Pattern 50:50 (राज्य सरकार : रेलवे) है। इस परियोजना के लिए कुल 80 हैक्टेयर भूमि की आवष्यकता है। इसमें से 27.5 हैक्टेयर हिमाचल प्रदेष तथा 52.5 हैक्टेयर भूमि हरियाणा में पड़ती है। इस रेल लाईन में पड़ने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए तथा देरी, मुकदमेबाजी व लागत वृद्धि से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा वार्ता समिति (Negotiation Committee) का गठन किया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार ने इस रेल लाईन के लिए निजी भूमि मालिकों के साथ बातचीत के माध्यम से निजी भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया था जो सफल नहीं हो सका क्योंकि वार्ता प्रक्रिया के दौरान निजी भू मालिक बहुत अधिक मुआवजा राषि की माँग कर रहे थे। अब राज्य सरकार ने इस रेल लाईन के निर्माण के लिए आवष्यक निजी भूमि का अधिग्रहण ''नये भू अर्जन अधिनियम, 2013'' के अनुसार करने का निर्णय लिया है। मामला प्रगति पर है। हरियाणा सरकार से यह भी अनुरोध किया जा चुका है कि वह हरियाणा में पड़ने वाली भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाये। रेलवे के अनुरोध पर राज्य सरकार ने भू–अर्जन अधिकारी (रेल)–एवं–तहसीलदार बद्दी को, उनके पास रेलवे द्वारा जमा की गई राषि रू0 226.84 करोड़ (रू0 47 करोड़ राज्य हिस्से सहित) में से रू0 83.80 करोड़ की राषि, भू–अर्जन अधिकारी (रेल)–एवं–डी. आर.ओ. पंचकुला, हरियाणा को जारी करने को कहा था। यह राषि भू–अर्जन अधिकारी (रेल)–एवं–तहसीलदार बद्दी द्वारा भू–अर्जन अधिकारी (रेल)–एवं–डी.आर.ओ. पंचकुला, हरियाणा को हरियाणा क्षेत्र में भूमि क्रय करने हेतु जारी की जा चुकी है।

3. **नंगल–तलवाड़ा ब्रॉडगेज़ रेल लाईन (83.74 कि0मी0):** इस रेल लाईन की कुल लम्बाई 83.74 कि0मी0 है। 63 कि0मी0 ट्रैक हिमाचल प्रदेष में पड़ता है जिसमें से 58 कि0मी0 तक निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा दौलतपुर चौक तक यातायात आरम्भ कर दिया गया है। इस परियोजना को पूर्ण करने की लागत 1200 करोड़ रू0 से बढ़कर 2100 करोड़ रू0 हो गई है। वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार ने षेश 5 कि0मी0 तक पड़ने वाले सात गाँवों की निजी भूमि को क्रय करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। इन सात गाँवों की भूमि का रेलवे को हस्तान्तरण कार्य 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है। शेष भूमि हस्तान्तरण का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना पूर्ण होने पर जम्मू और कश्मीर के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाएगी। इस रेलवे लाईन का निर्माण रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इस रेल लाईन पर होने वाला समस्त व्यय रेलवे द्वारा वहन किया जाना है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है तथा तीनों रेल लाईनों की PRAGATI के माध्यम से PMO द्वारा समीक्षा की जा रही है।

वर्ष 2018–19 के दौरान प्रदेश सरकार ने भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी नई रेल लाईन निर्माण शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से करने का मामला रेल मंत्रालय से उठाया है क्योंकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस रेल लाईन का निर्माण लेह–लदाख तक करने का निर्णय लिया है।

मूल्यांकन प्रभाग

मूल्यांकन का उदेश्य कार्यान्वयन प्रकिया का आकलन करना, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधाओं और अन्तराल की पहचान करना और इन निष्कर्षों के आधार पर, कार्यान्वयन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना है।

विधायक प्रभाग

विधायक प्रभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान निम्न कार्य निष्पादित किए गएः–

1 वर्ष 2018–19 के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई जिस पर विभागों से अनुवर्ती कार्यवाही प्राप्त होने के पश्चात् संकलित करके सभी माननीय विधायकों को उपलब्ध करवाई गई ।

2 वार्षिक बजट 2019–20 के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 28 एवं 29 दिसम्बर, 2018 को माननीय विधायकों की बैठकों का आयोजन किया गया तथा

इन बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।

3 प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप विधायकों द्वारा तीन विकास शीर्षों सड़क, ग्रामीण पेयजल एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत दो–दो प्राथमिकताओं की योजनाएं नई एवं चालू योजनाओं के अन्तर्गत बजट में शामिल करने के लिए दी जाती हैं । इस प्रकार प्रत्येक विधायक की 6 नई एवं 6 चालू योजनाएं वर्ष 2019–20 के बजट में सम्मिलित की गई। प्रत्येक विधायक को यह छूट होती है कि वह सभी 6 योजनाएं किसी एक ही विकास शीर्ष अथवा दो विकास शीर्षों या तीनों विकास शीर्षों में प्रस्तावित कर सकते हैं। उपरोक्त के अनुरूप माननीय विधायकों से प्राथमिकताएं प्राप्त होने के उपरान्त संकलित की गई। संकलित प्राथमिकताओं को **"नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2019–20",** के रूप में प्रकाशित किया गया। यह प्रकाशन राज्य के वार्षिक बजट का हिस्सा है ।

4 विधायक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित कार्य गतिशील प्रवृति के होते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान विधायकों से योजनाओं में फेरबदल/प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए । इन प्रस्तावों पर प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप वाँछित कार्यवाही की गई। सम्बन्धित विभागों को विधायकों के प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए तथा सम्बन्धित विधायकों को भी फेरबदल/ प्रतिस्थापित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सूचित किया गया ।

कम्प्यूटर प्रभाग

3.3. जिला कार्यालयः

प्रदेश के सभी 10 गैर–जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुकत/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है । जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं । जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :–

1. जिला योजना अधिकारी
2. साख योजना अधिकारी
3. सहायक अनुसंधान अधिकारी
4. सांख्यिकीय सहायक
5. वरिष्ठ सहायक (जिला शिमला, मण्डी एवं कांगड़ा में प्रति जिला दो–दो पद)
6. आशुटंकक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक
7. लिपिक
8. चपड़ासी

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यकमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि, मुख्यमन्त्री ग्राम पथ, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधितथा पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यकमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं । जिला स्तर पर योजना, विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यकम समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यकमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं । जिला स्तर पर जिला योजना कक्ष, राज्य सरकार के विकेन्द्रीकृत योजना प्रकिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं । जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी है । प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत उप–नियम 4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचनाः

;पद्ध विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य

कृपया मद् **'पृष्ठभूमि एवं परिचय'** तथा **'संगठनात्मक ढांचा'** का अवलोकन करें ।

;पपद्ध अधिकारियेां एवं कर्मचारियों की शक्तियॉं एवं डियूटी।

सलाहकार ;योजनाद्ध

विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण सलाहकार ;योजनाद्ध के पास है । वह कार्य निष्पादन में अतिरिक्त मुख्य सचिव;योजनाद्ध हि0प्र0 सरकार की सहायता करते हैं तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव ;योजनाद्ध हि0प्र0 सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं ।

संयुक्त निदेशक ;योजनाद्ध

संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते है । वह सलाहकार (योजना) के साथ विभिन्न दायित्व निवर्हन एवं कार्य जैसे प्रशासन, योजना प्रारूपण, ई0ए0पी0, इनोवेशन, परफौरमैन्स मोनिटीरिंग एवं समय–समय पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में कड़ी के रूप में कार्य करते है।

उप–निदेशक ;योजनाद्ध

सभी उप–निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना कार्यान्वयन, नाबार्ड़, मूल्यांकन, जन–शक्ति एवं रोजगार, कम्पयूटरीकरण, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना, क्षेत्रीय एवं जिला येाजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना, आर.एफ.डी., इत्यादि के नियन्त्रक हैं । समस्त उप–निदेशक विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाहकार ;योजनाद्ध की सहायता/सहयोग करते हैं

अनुसंधान अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी

विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप–निदेशकों की सहायता करते हैं । सभी नस्तियां उनके माध्यम से उप–निदेशकों को भेजी जाती है । जिला योजना अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख **मद्–3.3. ''जिला कार्यालय''** में किया गया है

सहायक अनुसंधान अधिकारी

विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियेां को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।

सांख्यिकीय सहायक

विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियेां को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।

गणक

विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियेां द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं ।

प्रणाली विश्लेषक

प्रणाली विश्लेषक कम्पयूटर कक्ष के प्रभारी हैं । वह योजना विभाग के कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करना, इत्यादि म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

प्रोग्रामर

प्रोग्रामर योजना विभाग के कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करना, इत्यादि में प्रणाली विश्लेषक की सहायता करते हैं।

कार्यक्रम योजना अधिकारी

कार्यक्रम योजना अधिकारी विभाग में कम्पयूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफटवेयर तैयार करने में प्रणाली विश्लेषक व प्रोग्रमर की सहायता करते हैं ।

संगणक संचालक

गणक संचालक विभाग में कम्पयूटीरकरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्यक्रम योजना अधिकारी/ प्रोग्रामर तथा विभिन्न प्रभागों की सहायता करते हैं ।

अधीक्षक ग्रेड–।

अधीक्षक वर्ग–1 योजना विभाग के प्रशासनिक कक्ष के समस्त प्रशासनिक कार्यो को निष्पादित करते हैं । प्रशासन प्रभाग की

सभी नस्तियाँ प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग–11 अधीक्षक वर्ग–1के माध्यम से उच्च स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं ।

अधीक्षक ग्रेड–।।

अधीक्षक ग्रेड–11 प्रशासन कक्ष में कार्यरत्त सभी कर्मचारियों के कार्यो पर नजर रखते है, तथा प्रशासन कक्ष के सभी सहायक अपनी–अपनी नस्तियां प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग–1 को आगामी निर्णय हेतु अधीक्षक वर्ग–11 के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ।

वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक

विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को अधीक्षक वर्ग–11 के माध्यम से उच्च स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं ।

लिपिक

यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग–1 आहरण एवं विरतण अधिकारी / अधीक्षक वर्ग–।। द्वारा सौंपे गए कार्यो का निष्पादन करते हैं ।

कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू0प्रौ0)

विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अधिकारियेां द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं ।

निजि सचिव/निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक

ये कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक एवं उप–निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख–रखाव करते हैं ।

आशु–टंकक

जिला योजना अधिकारियों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने / इत्यादि काार्यो के लिए कार्यरत हैं ।

जिला योजना अधिकारियों द्वारा सौंपे गए सभी प्रकार के कार्य करते हैं ।

<u>प्रतिलिपि यन्त्र चालक</u>

विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं ।

<u>चपड़ासी</u>

विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं।

<u>चौकीदार/जमादार</u>

विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखते है ।

<u>सफाई कर्मचारी</u>

विभाग के कमरों, वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनें की सफाई हेतु नियुक्त हैं ।

(iii) प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम

सलाहकार ;योजनाद्ध विभागाध्यक्ष हैं तथा उनमें विभागाध्यक्ष की सभी शक्तियां निहित हैं । विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यो को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं । विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते है। विभाग की नस्तियां प्रभागाध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार ;योजनाद्ध को प्रस्तुत की जाती है ।

(iv) कार्य निष्पादन हेतु मापदण्ड

विभाग के भिन्न–2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित नियमों/ नितियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं ।

(v) नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यो के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं ।

विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों–विनियमों, निर्देशों नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न हैः–

1. सी.सी.एस. लीव रूलज,1972
2. सी.सी.एस. (सी.सी.ए) रूलज
3. एच.पी.एफ.आर रूलज
4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज
5. मैडिकल एटैन्डैंस सुविधा नियम
6. गृह निर्माण अग्रिम नियम
7. अवकाश यात्रा सुविधा नियम/ यात्रा भत्ता नियम
8. बजट मैनुअल
9. आफिस मैनुअल
10. पैंशन नियम
11. सामान्य भविष्य निधि नियम/इ0पी0एफ रूल्ज

निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देशः–

1. विकेन्द्रीकृत नियोजन
2. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम
3. क्षेत्रीय विकास निधि योजना
4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना
5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना
6. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना
7. बाहया सहायता परियोजना
8. ग्रामीण संरचना विकास निधि
9. जिला इनोवेटिव निधि ;क्पेजतपबज प्ददवअंजपअम थ्नदकद्ध

अधिकारी/ कर्मचारी सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों जिन्हें योजना विभाग की वैबसाईट पर डाला गया है का प्रयोग कर सकते हैं । विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन जिसमें संगठनात्मक ढांचा भी दिया गया है को विभाग की वैबसाईट पर डाल दिया गया है

(vi) दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों।

पंच–वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न–भिन्न योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन, जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच–वर्षीय योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सूची, जिलावार त्रैमासिक 20–सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन रिपोर्ट एवं विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ।

(vii) किसी नीति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार–विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो ।

विभाग की विभिन्न समितियों में जन–प्रतिनिधियों को गैर–सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है । गैर–सरकारी सदस्य समितियों की बैठकों में सरकार की नीति–निर्धारण के लिए बहुमूल्य सुझाव देते हैं । इसके अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में भी जन–प्रतिनिधि बैठकों के माध्यमों से भाग लेते हैं । हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, राज्य/जिला/उप–मण्डल स्तर की योजना विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों में गैर–सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य की वार्षिक योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए समस्त विधायकों एवं राज्य से सम्बन्धित सांसदों के साथ बैठकों के माध्यम से विचार–विमर्श किया जाता है । उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के नीति–निर्धारण, योजनाओं के कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण में जन–प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ।

(viii) बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां एवं अन्य निकाय/ सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो।

विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया है:–

1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड ।
2. राज्य/जिला/उप–मण्डल स्तरीय योजना विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियां ।
3. राज्य स्तरीय रोजगार सृजन एवं संसाधन जुटाव समिति

इन बोर्ड/कमेटियों की बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति लोग ले सकते हैं ।

(ix) विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियेां की निर्देशिका ।

कृपया मद्– **'2. योजना विभाग–स्टाफ स्थिति'** का अवलोकन करें

(x) प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली ।

सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियेां व कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं ।

(xi) प्रत्येक एजैंन्सी का बजट आवंटन जिसमें सभी योजनाओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं आहरण की रिपोर्ट जो बनती है ।

योजना विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर योजना स्कीमों एवं विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपायुक्तों को धन का आवंटन प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं निर्धारित माप–दण्डों के आधार पर किया जाता है । प्रभाग वार उद्देश्य, कार्यक्रम, आबंटन, व्यय, इत्यादि का विस्तृत उल्लेख सम्बन्धित प्रभागों के विवरण में किया जा चुका है।

(xii) उपदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें लाभभोगियों का विवरण धनराशि सहित

विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जताा है ।

(xiii) रियायतों के पात्रों का विवरण ।

लागू नहीं है ।

(xiv) इलैक्ट्रानिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे ।

विभाग की वैवसाईट बनाई गई है । विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैवसाईट ूणीचऋचसंददपदहण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।

(xv) लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु लाईब्रेरी या वाचनालय का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो ।

विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई भी सूचना विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा सकती है ।

(xvi) लोक सूचना अधिकारियेां के पद–नाम एवं विवरण।

सूचना नीचे अलग से दी गई है ।

(xvii) ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो ।

लागू नहीं है ।

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी का विवरण ।

क्रम सं0	प्राधिकारी का नाम ;जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारीद्ध	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
1ण	2ण	3ण	4ण	5ण
;कद्ध सचिवालय स्तर पर				
1ण	श्री रिखी राम, लोक सूचना अधिकारी	संयुक्त सचिव ;योजनाद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2 दूरभाष नं. 2628504	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
2ण	श्री अनिल खाची, अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ;योजनाद्ध, हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2. दूरभाष नं. 2620560	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
;खद्ध राज्य स्तर पर				
1ण	श्री दिवान चन्द लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड–ट	योजना भवन, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2 दूरभाष नंण 2629471	राज्य स्तर पर योजना विभाग
2ण	श्री भाग सिंह ठाकुर, सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड–प्प	योजना भवन, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2 दूरभाष नंण 2880371	राज्य स्तर पर योजना विभाग
3ण	डॉ बसु सूद, अपील प्राधिकारी	सलाहकार ;योजनाद्ध	योजना भवन, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–2 दूरभाष नंण 2621698	राज्य स्तर पर योजना विभाग

क्रम सं0	प्राधिकारी का नाम ;जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारीद्ध	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
(x) जिला स्तर पर				
1.	श्री सुरेश कुमार, लोक सूचना	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय,	सम्बन्धित जिला

	अधिकारी		शिमला दूरभाष नं. 0177–2808399	
2.	श्री जवाहर लाल, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, सोलन दूरभाष नं. 01792–220697	सम्बन्धित जिला
3.	श्री अनुज कुमार, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, जिला सिरमौर स्थित नाहन दूरभाष नं. 01702–223008	सम्बन्धित जिला
4.	श्री गौतम चन्द, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, चम्बा दूरभाष नं.01975. 226057	सम्बन्धित जिला
5.	श्री रविन्द्र कटोच, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला दूरभाष नं.ण 01892. 223316	सम्बन्धित जिला
6.	श्री तेज सिंह लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, मन्डी दूरभाष नं.01905. 225212	सम्बन्धित जिला
7.	श्री संजय परमार लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, ऊना दूरभाष नं.01899. 226166	सम्बन्धित जिला
8.	श्रीमती मुक्ता ठाकुर, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, बिलासपुर दूरभाष नं.01978. 222668	सम्बन्धित जिला
9.	श्री कुलदीप सिंह, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, कुल्लू दूरभाष नं.01902. 222873	सम्बन्धित जिला
10	श्री विनोद कुमार लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर दूरभाष नं. 01972. 222702	सम्बन्धित जिला

*****

(FOR OFFICE USE ONLY)

ANNUAL

GENERAL ADMINISTRATIVE

REPORT

2018-2019

Planning Department
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171002

CONTENTS

Sr. No.	Subject	Page No.
1.	BACKGROUND AND INTRODUCTION	
2.	STAFF POSITION – PLANNING DEPARTMENT	
3.	ORGANIZATIONAL STRUCTURE	
3.1.	STATE PLANNING BOARD	
3.2.	HEADQUARTERS	
	(I) Administration Division	
	(II) Plan Formulation Division	
	(III) Plan Implementation Division	
	(IV) Backward Area Sub Plan (BASP) Division	
	(V) Regional & District Planning Division	
	(VI) Manpower and Employment Division	
	(VII) Externally Aided Project (EAP)/Innovation Division	
	(IX) NABARD – RIDF Division	
	(X) 20-Point Programme-2006 Division	
	(XI) Railway Division	
	(XII) Evaluation Division	

	(XIII) MLA Priority Division	
	(XIV) Computerization Division	
3.3.	DISTRICT OFFICES	
4.	INFORMATION OF RTI ACT-2005	

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes, etc. The other activities consist of Project Appraisal of Externally Aided Projects, Implementations of scheme under RIDF funded by NABARD, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning, Implementation of Backward Area Sub-Plan, Review of 20-Point Programme, works related to construction of rail lines and allied works in HP, etc.

2. STAFF POSITION - PLANNING DEPARTMENT:

Sr. No.	Category	Sanctioned Posts	Filled-up	Vacant
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	Chairman Employment Generation & Resources Mobilization	1	0	1
2.	Chairman (20 Point Programme)	1	0	1
3.	Dy. Chairman, State Planning Board	1	1	0
4.	Adviser (Planning)	1	1	0
5.	Joint Director	1	1	0
6.	Deputy Directors	6	4	2
7.	Research Officers / District Planning Officers	22	18	4
8.	Credit Planning Officers	10	10	0

9.	Assistant Research Officer	17	12	5
10.	Statistical Assistant	21	20	1
11.	Computer	4	4	0
12.	System Analyst	1	1	0
13.	Programmer	1	1	0
14.	Programme Planning Officer	1	1	0
15.	Computer Operators	1	0	1
16.	Private Secretary	1	1	0
17.	Personal Assistant	2	2	0
18.	Senior Scale Stenographer	1	0	1
19.	Junior Scale Stenos	6	6	0
20.	Steno-Typists	3	3	0
21.	Junior Office Assistant (I.T.)	17	9	8
22.	Superintendent Grade-I.	1	1	0
23.	Superintendent Grade-II.	2	2	0
24.	Senior Assistant	16	15	1

1.	2.	3.	4.	5.
25.	Clerk	12	12	0
26.	DMO	1	1	0
27.	Driver	5	4	1
28.	Peons	20	19	1
29.	Chowkidar	1	0	1
30.	Frash	1	1	0
31.	Jamadar	1	1	0
32.	Sweeper	1	1	0
	TOTAL	**180**	**152**	**28**

* : Pay and allowances of Deputy Chairman, State Planning Board and Chairman, Twenty Point Programme are decided by the State Government at the time of their nomination.

3. ORGANISATIONAL STRUCTURE:

The organizational structure of Planning Department consists of following three tiers:-

3.1. State Planning Board.
3.2. Headquarters.
3.3. District Offices.

3.1. STATE PLANNING BOARD:

State Planning Board was reconstituted by nominating official and non-official members on 13th Feb., 2018.

I. Composition:

(i) Chairman: Chief Minister

(ii) Deputy Chairman: As appointed by the State Govt.

(iii) Non-official Members:

1. All Cabinet Ministers
2. All MPs (Lok Sabha and Rajya Sabha)

   (Notified separately)
3. One Representative each of Farmers,

   Industrialists Trade- SC, ST, OBC, Women

   (Notified separately)
4. Former MPs / MLAs and sitting MLAs
   (Notified separately)
5. Ex-Chief Secretaries/ Retd. Government Officers of key departments
   (Notified separately)

(iv) Official Members:

1. Chief Secretary,
2. All Administrative Secretaries
3. All Vice-Chancellors of Universities in Himachal Pradesh

(v) Ex-officio Members:

1. President, HP Committee, PHD Chamber of Commerce & Industries
2. Officer-in-Charge of Regional Office, NABARD, Himachal Pradesh

(vi) Member Secretary : Adviser (Planning)

II. Terms of Appointment: As may be prescribed by the Govt. of H.P. from time to time.

III. Headquarters of the Board:

The Headquarters of the State Planning Board will be in Shimla. The Board may, however, meet at any other place as and when considered necessary.

IV. Functions:

The functions of the Board are as under:-

- To determine the Plan priorities for State in the light of overall National objectives.
- To assess the man-power and financial resources and their organizational and institutional capabilities.
- To assess the level of development in important sectors for the State as a whole as well as for various districts and regions.
- In the light of above, formulate a long term perspective plan for the most effective and balanced utilization of State resources.
- To assist the State Government in the formulation of the annual plans and evolve a short term strategy for planned development after examination of different approaches so as to achieve maximum growth rate keeping in view Social justice.
- To identify factors which tend to retard the economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful execution of the plan.
- To suggest policies and programmes for removing the imbalances prevailing in various regions in the State and to assist in the formulation of the district plans/area Plans.
- To review the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.
- To make critical appraisal of on-going programmes leading to a determination of the extent to which some of the identified on-going programmes of projects would need to be continued.
- To review the implementation of plan projects and other development schemes.
- To advise on the problem of unemployment and suggest ways and means for tackling it.
- To advise on such other matters connected with the economic development as may be assigned by the State Government.
- To make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate for facilitating the discharge of duties assigned or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by the State Government.
- To collect and analyze information/data regarding Plan schemes.
- To review the working of Government Corporations, Boards and suggest means for their improvement.

- To highlight difficulties being faced in the implementation of the plan schemes at district level and suggestions to overcome them.
- To evaluate various projects/corporations according to the directions of Chairman.

State Annual Plan size amounting to Rs. 6300.00 crore for the year 2018-19 was discussed and approved.

3.2. HEADQUARTERS:

According to the rule of business, following is the structure of Planning Department for transaction of official business:-

1.	Minister – in-charge	Hon'ble Chief Minister, HP.
2.	Administrative Secretary	Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.
3.	Head of Department	Adviser (Planning) HP.

Adviser (Planning) is the Head of the Department. The various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerization, Evaluation, Manpower & Employment, Administration, Regional & District Planning , Backward Area Sub-Plan, Railways and Twenty Point Programme are functioning under the control of Adviser (Planning). These divisions are headed by Joint Director / Deputy Directors. Joint Director / Deputy Director functions as Head of Office. The Division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. are given below:-

I. ADMINISTRATION DIVISION:

The Administration Division functions under the control of Joint Director (Administration).

The Administration Division does routine Administrative and Personnel Management and other related works such as recruitment, promotion, confirmation, transfers / postings, disciplinary actions / proceedings, budget, accounts, reply of audit / CAG / PAC paras, store & stock and other miscellaneous works assigned to it. During the year under report, the Administrative Division of the department has performed the above mentioned works / duties.

PLAN FORMULATION DIVISION

1. Preparation of State's Draft Annual Plan (2019-20) Document

Though NITI Aayog, Govt. of India has discontinued the process of formulation of Five Year / Annual Plans but the role of Planning cannot be undermined as it is essential for organizing and optimally utilizing the available resources to meet the social as well as economic obligation of the State. The

Plan Formulation division mainly deals with plan part of the State Budget. The division formulates annual plan by convening meetings with different departments/ stakeholders. During this exercise the division formulates and finalizes plan size of different departments by ensuring percentage criteria of TSP, BASP and SCSP sub-plans. Apart from this the division also deals with various developmental issues related to NITI Aayog, Govt. of India and also ensures liaison between the NITI Aayog, Govt. of India and the various departments of the state on various issues. Following process was initiated and completed by the Plan Formulation Division during 2018-19 for preparation of State's Draft Annual Plan 2019-20.

(a) Online plan proposal was invited from all the departments on the online software (e-vitran) developed by National Informatics Centre (NIC) in the month of Septmber, 2018.

(b) A series of meetings with concerned departments were held in the month of October, 2018 under the Chairmanship of Additional Chief Secretary (Planning) to discuss & firm up the plan priorities of the departments for Annual Plan (2019-20).

(c) After the detailed discussions, Annual Plan Size for the year 2019-20 was firmed up and the Head of Development wise plan outlays along with specific earmarkings were conveyed online to all the Head of Departments for preparation of scheme wise budget for the year 2019-20. After scrutinizing & making suitable changes if desired in the scheme wise plan proposals as entered by the department through online mode, the same was conveyed to the Finance department for inclusion in the budget (Demand for Grants) for the year 2019-20

(d) Draft Annual Plan (2019-20) document was prepared by proposing a plan size of Rs. 7100 crore.

(e) The Annual Plan document was approved by the State Planning Board (SPB) in its annual meeting held on 16th Jan, 2019 under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister Himachal Pradesh. The same has also been passed by the State Legislature.

The Sector –wise break up of annual plan is given as under:-

(Rs. in Crore)

Sr. No.	**Sector**	**Annual Plan (2019-20) Proposed Outlay**
1.	**2.**	**3.**
1.	Agriculture and Allied Activities	877.25
2.	Rural Development	133.65
3.	Special Area Programme	27.78
4.	Irrigation & Flood Control	457.48
5.	Energy	711.06
6.	Industry and Minerals	95.59
7.	Transport & Communication	1241.98
8.	Science, Technology & Environment	38.02
9.	General Economic Services	335.15
10.	Social Services	3048.15
11.	General Services	133.89
	Total :	**7100.00**

PLAN IMPLEMENTATION DIVISION (2018-19)

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

1. This division examines proposals of diversion and re-appropriation received from different departments thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/ re-appropriations are permitted.

2. Additionalities are provided from those Schemes/Heads, which have the possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost importance.
3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off cases promptly.
4. During the period under report, proposals on diversions and re-appropriations were called from all departments through concerned Administrative Departments (ADs) in respect of Earmarked & Non-earmarked Sectors for scrutiny and examination.
5. During the year under report, 501 references from different departments for obtaining advice on their departmental files had been received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority.
6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget through software for this purpose.

In addition to this, following activities were undertaken by the Plan Implementation during the period under reference:-

1. Budget Assurances:

This Division has reviewed the progress of Implementation of Budget Assurances given during the Budget Speech for 2018-19. The information from all implementing departments was collected and compiled.

2. Centrally Sponsored Schemes:

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress. This Division had advised the implementing departments on financial implications of CSS and their counterpart state provisions in plan.

BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP) DIVISION:

State Government has notified the Backward Area Sub Plan for identifying and mitigation of sub-regional disparities in development on various

parameters. During 1995-96, HP Government had framed a comprehensive policy for backward areas which is being implemented since then in Himachal Pradesh. The salient features of the policy are as under:-

(a) Backward Area Sub-Plan is operational in ten districts of the State (except Tribal Districts).

(b) Backward Area Sub Plan comprises three categories:-

(**i) Backward Blocks**: All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Nine Backward Blocks in the State having 316Backward Panchayats.

(ii) Contiguous Pockets: Group of five or more declared backward Panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 133 backward Panchayats in the State.

(iii) Dispersed Panchayats: Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (i) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 110 Dispersed Panchayats in the State.

(c) Funds are earmarked for Backward Area Sub-Plan (BASP) under selected thirteen heads of development.

(d) Both, beneficiaries and infrastructure development oriented approaches have been adopted in these areas.

(e) The allocation of funds to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.

(f) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions / re-appropriation with the approval of DPDC. Administrative and financial delegation has been given to the districts.

There are 559 Panchayats declared as backward out of 3226 Panchayats in the State. A single Demand No-15 “Planning and Backward Area Sub Plan” has been created for separate budgetary arrangements for BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities within the district.During Financial Year 2017-18 a provision of Rs. 54.47 crore was made and during the financial year 2018-19 Rs. 59.45 crore was kept under capital heads under BASP (Plan).

The District wise details of Backward Area Sub Plan 2018-19 outlay / expenditure of Capital Section and numbers of Backward declared Panchayats are as under:-

(Rs. in lakh)

Sr. No.	**District**	**Number of Backward Declared Panchayats**	**BASP BUDGET & EXPENDITURE 2018-19 (Capital Section)**	
			Budget (Plan)	**Tentative Expenditure (Plan)**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	Bilaspur	15	163.03	163.03
2.	Chamba	159	1728.07	1724.56
3.	Hamirpur	13	141.29	139.62
4.	Kangra	17	184.76	184.76
5.	Kullu	79	858.60	858.60
6.	Mandi	161	1619.38	1619.38
7.	Shimla	83	902.07	902.07
8.	Sirmour	26	282.58	282.58
9.	Solan	3	32.61	32.61
10.	Una	3	32.61	32.61
	TOTAL	**559**	**5945.00**	**5939.82**

REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION

For the implementation and monitoring of various Decentralized Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up at in the Planning Department. Descriptions of the various activities of Decentralized Planning Programmes are given as under:-

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure people's effective participation towards fulfilling their developmental needs in terms of providing basic infrastructure at the grass root level as well as to supplement Government's efforts/resources, the programme-Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced in the State from 1991-92. Under this programme, people's participation is on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited in the Bank/Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy Commissioner. An expenditure of Rs. 21.25 Crore was made under this programme during 2018-19. Under this programme an amount of Rs. 22.00 Crore has been kept for the financial year 2019-20.

Salient features of this programme are given below:

1. In urban areas, cost sharing ratio between the Community and the Govt. is 50:50. While in case of Govt. assets like school buildings, health and veterinary institutions, construction of drinking water supply schemes and sewerage schemes and installation of hand pumps where the sharing pattern is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. This facility is only for creation of assets community and not for any family or a person/ individual assets.
2. In rural areas, cost sharing is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. However, in the case of tribal areas, panchayats declared as backward and areas predominantly inhabited by SCs, STs and OBCs, cost sharing is in the ratio of 15:85 between Community and the Govt.
3. Any individual can also get a public asset constructed either as a purely philanthropic nature or to commemorate the memory of his/her ancestors by sharing 50 percent cost of the work.
4. Works are required to be completed within one year from the date of sanction.

5. Community and the Govt. are liable to contribute 10% funds additionally of the cost of work for the maintenance of assets which are to be maintained.
6. All works beyond the estimated cost of Rs. 5.00 lakh are executed through the Government Departments and not by the societies/ local committees.
7. The execution of works up to Rs. 5.00 lakh are ensured under the supervision of the Assistant Engineer/ Junior Engineer of the Rural Development Department and the measurement of the work of each work done is entered in the measurement book of concerned Junior Engineer/ Technical Assistant of the area.

The projects/assets of the following nature can be sanctioned under this programme:

i) Construction of buildings of Govt. Educational Institutions.
ii) Construction of multipurpose community/public assets.
iii) Construction of motor-able roads and rope-ways.
iv) Construction of irrigation schemes/drinking water schemes/ installation of hand-pumps.
v) Construction of buildings of public health services.
vi) Provision of important missing links; such as three phases transmission lines, transformers, X-Ray plants, Ambulances etc.
vii) Setting up of Go-Sadan for stray animals.

2. Sectoral Decentralized Planning (SDP):

Sectoral Decentralized Planning Programme was started in the State during 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds made by the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to the area of the district as per 1981 Census. Under this programme, schemes of local needs and important missing links occurring in the budgetary allocations are mainly taken up for implementation. An expenditure of Rs 69.95 Crore was made under this programme during 2018-19. Under this proramme an amount of Rs. 79.52 Crore has been kept for the financial year 2019-20.

Salient features of this programme are as under:

1. Under this programme schemes are sanctioned after seeking prior approval of the District-Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
2. Only those developmental works should be considered for execution whose estimates and designs are technically approved by the competent Technical Authority / Personnel of Govt./ Semi Govt./ Govt. undertakings within the delegated technical powers. The Technical Officer / Authority, who can technically approve the estimates is competent to assess the work and authorize disbursement of payments.
3. The Deputy Commissioners are competent to accord A/A & E/S under SDP subject to the availability of budgetary provisions under selected heads of development and fulfillment of other requirements.
4. Under SDP, neither recurring expenditure / liability can be created nor bunching of sanctions and phasing of work beyond one financial year is allowed. Also, revision of estimates and revision of sanctions are not allowed.
5. The developmental works to be executed under SDP should lead to a community benefit which consists of at least five families. No works benefiting individuals/single family can be taken up under this programme.
6. Under SDP works sanctioned are required to be completed within the same financial year or within one year from the date of sanction. The phasing of work and financial sanction for more than one financial year is not permissible.

3. Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :

To strengthen the decentralization process, the State Government has started a scheme **"Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana"** from 1999-2000.This scheme was discontinued in the year, 2001-2002 but restarted in 2003-04 with a budget provision of Rs. 24.00 lakh per constituency. The State

Government has been increasing budget provision under this scheme from year to year and a provision of Rs. 1.25 Crore per constituency was made in 2018-19. Now, it has been increased to Rs.1.50 Crore per constituency in the current financial year.

The implementation and monitoring of the scheme is done with the direct and active involvement of MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state. An expenditure of Rs. 81.65 Crore was made under this programme during 2018-19. Budget provision of Rs**.** 102.00 Crore has been kept for this scheme during 2019-20.

The scheme/works of the following nature can be under-taken under this programme:-

1. Construction of rooms in Educational Institutions.
2. Construction of Ayurvedic Dispensaries, Veterinary Institutions & Health Sub- Centres etc.
3. Installation of Hand Pumps.
4. Construction of Motorable / Jeepable link roads in rural areas.
5. Construction of Community Bhawans which can be used for different institution or celebration at village level.
6. Provision of apparatus in Health Institutions which are not already available there such of as X-Ray Plants, Ultra Sound machines and ECG machine etc.
7. Purchase of Ambulance for Health Institutions subject to the condition that concerned institution/ department should have full provision for recurring expenditure on it.
8. Construction of small bridge/ culverts on rural roads and foot bridges on different khads, streams etc.
9. Construction of metalled rural paths (concrete based or black topped), on which two wheeler vehicles could be plied.
10. Water supply schemes for left out hamlets where there is necessity of public taps by providing additional pipes.
11. Irrigation schemes at local level.

12. Construction of Toilets in schools and construction of Public toilets & bathrooms in the bus stands.
13. Electrification of left out houses in remote/ rural areas (LT Extensions).
14. Maintenance of school buildings and construction of school play grounds.
15. Construction of Gym centre in Panchayats & urban areas.
16. Construction and maintenances of Bus Stands.
17. In rural and urban areas, maintenance of Government buildings such as Ayurvedic dispensaries, Veterinary dispensaries, Health Institutions, Community Bhawan, Education Institutions etc.
18. Repair and maintenance of roads in rural and urban areas.
19. WiFi facilities (Non-recurring expenditure).
20. Sanction of various facilities in public offices like sitting arrangements for students in the schools, sports kits/equipments in schools, beds and blankets in the hospitals, replacement of motor pumps of water supply and grant to Mahila Mandals for purchase of utensils (Maximum Rs. 20,000/- per Mahila Mandals) and furniture etc.

4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY):

In order to provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca. Besides this, construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas. The State Government has permitted construction of jeepable/tractorable link roads upto 2.00 km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. During the year 2004-05, this scheme was discontinued and was restarted in 2008-09. During 2015-16, a provision of Rs 5.50 Crore was made to Deputy Commissioners of 10 Non-Tribal Districts under this programme. A budget provision of Rs. 5.50 Crore has been made under this scheme in the financial year 2018-19. A budget provision of Rs. 6.00 Crore has been made for the scheme during 2019-20.

Salient features of this programme are given below:

1. Under this scheme, allocation of funds to the districts is made on the basis of total rural population and total number of inhabited villages in the district on 50:50 ratios as per 1991 census.
2. Under the programme neither recurring expenditure / liability can be created nor construction of kutcha path is allowed.
3. The works executed out of this scheme fund will be maintained by the concerned Panchayats from their own resources / revenue. Affidavit to this effect is to be obtained from the concerned Panchayats before the sanction of work.
4. Only those developmental works should be considered for execution where estimates and designs are technically approved by the Rural Development Department J.E./A.E./XEN according to their technical powers.
5. Under this programme the schemes / works to be implemented are to be approved by the District Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
6. The works are to be completed within the sanctioned amount and no additional / revised sanction of funds will be allowed.
7. The road alignment should be got approved from the PWD, so that the Jeepable roads can be later on upgraded into normal Bus roads, as per the PWD norms.

5. Member Of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS):

Member of Parliament Local Area Development Scheme was started in 1993-94 by Govt. of India. Under this scheme, MPs recommend works of developmental nature to be taken up in their constituencies and also of national priorities viz. drinking water, primary education, public health, sanitation and roads, etc. The sanction orders are issued by the Deputy Commissioner. Rs 5.00 Crore per MP per annum is allowed to be released by Government of India for various works on the recommendations of the MP.
Following Sector schemes are eligible under MPLADS.

1. Drinking Water Facility.
2. Education.

3. Electricity Facility.
4. Health & Family Welfare.
5. Irrigation Facilities.
6. Non Conventional Energy Sources.
7. Other Public Facilities.
8. Railways, Roads, Pathways and Bridges.
9. Sanitation and Public Health.
10. Sports.
11. Works relating to Animal Husbandry, Dairy and Fisheries.
12. Works relating to Agriculture.
13. Works relating to Cluster Development for Handloom Weavers.
14. Works relating to Urban Development.

Reginal and District Planning Division has also performed following works during the financial year 2018-19:-

1. A parliamentary Committee on Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) of Lok Sabha had visited the state of Himachal Pradesh from 28th to 29th May, 2018 for assessing the Implementation of works undertaken under MPLAD Scheme in the state of Himachal Pradesh. In this On-the-spot study tour, Hon'ble Members of Lok Sabha committee visited the implementation of works under MPLADS and a meeting/interactive session was held on 29th May, 2018, 11.30 AM in Shimla with Hon'ble Members of Lok Sabha Committee with Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh. Action points were issued to all Deputy Commissioners.

2. A review meeting held on 30th October, 2018 under the Chairmanship of Additional Chief Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh with District Planning Officers to discuss the various issues pertaining implementaion of R&DP Programme. The Proceeding of the above Review meeting has been issued to all the concerned for taking further necessary action.

3. Second review meeting with District Planning Officers of District Kangra, Chamba, Hamirpur and Una was held on 14th December, 2018 under the

Chairmanship of Additional Chief Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 in D.C. Office Kangra at Dharamshala to review the action taken on the agenda items discussed in the above DPO's meeting and the latest status of UCs/CCs under Decentralized Planning Prgrammes viz (SDP,VMJS, VKVNY and MMGPY).

4. The report of the Comptroller and Auditor General of India on related to Himachal Pradesh Government on Social, General and Economic Sectors (Non-Public Sector Undertakings) for the year 2017-18. The Audit Draft Paras regarding, "Misutilisation of Sectoral Decentralized Planning funds and "Sanction of funds for inadmissible works under member of Parliament Local Area Development Scheme and Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana" . In this regard information had been collected from the respective Deputy Commissioners and after compilation of information reply sent to Pr. Auditor General of HP, Shimla-3.

NABARD-RIDF DIVISION:

Rural Infrastructure Development Fund Programme under NABARD extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects/ Really New Schemes in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards, have been implemented since **RIDF-I (1995-96).** This programme was continued as **RIDF-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII & XXIV** in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance **upto 50%** of the balance cost of ongoing projects. Later on ,loan assistance was provided **upto 90% / 95%** for new eligible projects under successive RIDF tranches.

2. The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Government has got projects approved or has posed projects to NABARD for funding are :-

(i) Construction of Roads and Bridges.

(ii) Construction of Irrigation schemes.

(iii) Construction of Flood Protection Works.

(iv) Construction of Primary School Buildings (under SBVSY).

(v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.

(vi) Establishment of Citizen Information Centres.

(vii) E-Governance.

(viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.

(ix) Watershed Development Projects.

(x) Strengthening of Animal Health Infrastructure.

(xi) Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).

(xii) Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.

(xiii) Construction of CA Stores.

3. The NABARD has sanctioned total loan assistance of Rs. 7398 crore in favour of Himachal Pradesh upto 31st March, 2019.The tranche-wise break-up is given as under :-

Sr. No	**Tranche No.**	**Duration/Phasing Period**	**No. of Schemes Sanctioned**	**NABARD Loan Sanctioned**	**State Contri-bution**	**Total Amount Sanctioned**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2000 To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 To2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To2008-09	379	272.30	36.17	308.47
13	RIDF-XIII	2007-08 To2010-11	359	308.06	32.55	340.61
14	RIDF-XIV	2008-09 To2011-12	136	424.82	28.13	452.95
15	RIDF-XV	2009-10 TO 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
16	RIDF-XVI	2010-11 TO 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
17	RIDF-XVII	2011-12 TO 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
18	RIDF-XVIII	2012-13 TO 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
19	RIDF-XIX	2013-14 TO 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
20	RIDF-XX	2014-15 TO 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
21	RIDF-XXI	2015-16 TO 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
22	RIDF-XXII	2016-17 TO 2019-20	125	545.54	60.20	605.74
23	RIDF-XXIII	2017-18 TO 2020-21	181	510.60	50.54	561.14
24	RIDF-XXIV	2018-19 TO 2021-22	204	544.21	86.04	630.25
		GRAND TOTAL (I TO XXIV)	**5781**	**7397.90**	**757.23**	**8155.13**

4. Against the above sanctioned NABARD loan assistance of Rs. 7398 crore, the State Government has received Rs. 5591 crore upto 31.03.2019 from the

NABARD. Year-wise detail of reimbursement availed under RIDF Programme from 1995-96 to 2018-19 is as under:-

Year	Reimbursement Availed (Rs. in crore)
1.	**2.**
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
2016-17	500.00

2017-18	500.00
2018-19	625.76
Total	**5590.70**

5. Project Sanction Target & Achievement (from 2006-07 to 2018-19) :-

(Rs.in crore)

Sr. No.	Year/Tranche	Project Sanction Target	Achievements	% age
1.	2006-07(XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08(XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09(XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10(XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11(XVI)	560.00	412.90	73.73
6.	2011-12(XVII)	540.00	423.69	78.46
7.	2012-13(XVIII)	500.00	432.16	86.43
8.	2013-14(XIX)	475.00	496.09	104.44
9.	2014-15(XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47
11.	2016-17 (XXII)	545.00	545.54	100.10
12.	2017-18 (XXIII)	500.00	510.60	102.12
13.	2018-19 (XXIV)	515.00	544.21	105.67

7. The Planning Department is the Nodal Department for processing the projects to NABARD for sanction and monitoring of the projects sanctioned under the RIDF programme.

7. Details of RIDF review meetings held during the year 2018-19:

Sr. No.	Name of the Meeting	Date and Place of meeting	Under the Chairmanship
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	49th HPC meeting on RIDF.	12th June, 2018 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
2.	Review meeting on RIDF	13th November, 2018 (Shimla)	Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.
3.	50th HPC meeting on RIDF.	20th December, 2018 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
4.	MLAs meetings	28th and 29th December, 2018 (Shimla)	Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
5.	51st HPC meeting on RIDF.	26th February, 2019 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
6.	Review meeting on RIDF Projects (MIS & RWSS)	28th February, 2019 (Shimla)	Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.
7.	Review meeting on RIDF Projects (Roads & Bridges)	27th March, 2019 (Shimla)	Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.

In addition to above mentioned meetings, review meetings were held on regular intervals in the Regional Office, NABARD Shimla. The representatives of implementing departments, NABARD and Planning Department attended these meetings. Scheme wise physical and financial progress of each department was reviewed and monitored in these meetings and implementing departments were advised to take corrective actions where required. Review meetings are also held at the level of concerned Administrative Secretary and HOD and at District level by the Deputy Commissioners.

Evaluation Division:

The objective of the evaluation is to make assessment of the implementation process, identify bottlenecks and gaps in implementation of the schemes and programmes and based on these findings, suggest remedial measures to make implementation process more effective.

MLA PRIORITY DIVISION:

MLA Division has performed following works during the financial year 2018-19:-

1. The minutes of MLAs meetings held during 2018-19 were issued to all the departments / organizations for taking suitable follow-up actions. The action taken report of these meetings was obtained from the concerned departments. The ATR was consolidated and circulated to all the concerned MLAs for their information.

2. The MLAs meetings to determine the MLAs priorities for Annual Budget 2019-20 were convened under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister HP on 28th & 29th December, 2018 and the minutes of these meetings have been issued to all the concerned departments for taking further action.

3. As per the approved policy of the State Government, Hon'ble MLAs prioritize two schemes each under three sectors i.e. **Roads & Bridges, Minor Irrigation and Rural Drinking Water Supply** for **"Really New Schemes (RNS)" and "Ongoing Schemes**". Therefore, six schemes under RNS and six under Ongoing Schemes were prioritized by each MLA for financial year 2019-20. However, Hon'ble MLAs are at liberty to change inter sectoral priorities with in the above mentioned three sectors i.e. he may

give six priorities in one or two or three sectors. Accordingly, the MLAs priorities were collected, consolidated and finally printed as **"नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2019-20".** It is one of the Documents for 2019-20 Budget.

4. The works related to MLAs priority are of varied nature. Various proposals for substitution of schemes were received from the various Hon'ble MLAs during the financial year 2018-19. Actions on the substitution proposals were taken as per approved policy of the State Government. Implementing departments were asked to take the follow-up actions accordingly. Concerned MLAs were also informed about the decisions taken in each substitution case.

COMPUTER DIVISION:

3.3. DISTRICT OFFICES:

District Planning Cells have been created in all the ten Non-Tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners. The Additional Deputy Commissioner / Additional District Magistrate, as the case may be, has been declared as Chief Planning Officer. The District Planning Cells are headed by the District Planning Officers. They are functioning as Drawing & Disbursing Officers at district level. The following staff has been provided in District Planning Cells :-

1. District Planning Officer.
2. Credit Planning Officer.
3. Assistant Research Officer.
4. Statistical Assistant.
5. Sr. Assistant (two posts each in District Shimla, Mandi and Kangra).
6. Steno-Typist.

7. Clerk.
8. JOA (I.T.)
9. Peon.

All the decentralized planning programmes such as VMJS, SDP, VKVNY, MMGPY, MPLADs, BASP, etc are being implemented at district level through the concerned District Planning Cell. The collection of data for evaluation studies carried out by the department are also collected through District Planning Cells at district level. District Planning Cells have been assigned the job of monitoring and reviewing of ongoing Plan Schemes, 20-Point Programme and all decentralized programmes mentioned above through District Planning, Development and Twenty

Point Programme Review Committees on quarterly basis. District Planning Officers function as Public Information Officer of Planning Department at district level. District Planning Cells have proved extremely useful at district level in fulfilling the objective of decentralization of planning process of the State Government. All assignments of the department required to be undertaken at district level are performed through District Planning Cells.

4. INFORMATION UNDER RTI ACT-2005:

Information related to the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act.2005.

(i) Particulars of organization, functions and duties.

Please see heading :

1. **BACKGROUND AND INTRODUCTION** and

2. **ORGANISATIONAL STRUCTURE" of the report**

(ii) Powers and duties of its Officers and Employees.

Adviser (Planning): Overall administrative and financial control of the Department. He helps Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. Adviser

(Planning) works under the overall control of Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.

Joint Director (Planning): He has been declared as Head of Office of Planning Department. He assisted Adviser (Planning) in dischargining various responsibilities and accomplished tasks related to Administration, Plan formulation, EAP, Innovation, Performance Monitoring implementation and liaisoining with the Niti Ayog, Government of India assigned to him from time to time.

Deputy Directors: The Deputy Directors headed various Divisions such as Plan Implementation, Project Formulation, Evaluation, Employment, Computerization, Regional and District Planning, MPLADS, Backward Area Sub-Plan, Twenty Point Programme, Railways, MLA Priorities, RIDF and RFD. They assisted the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.

Research Officers: The Research Officers assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers.

District Planning Officers: The staff provided to the District Planning Officers and duties performed by them are given under heading **"3.3. DISTRICT OFFICES".**

Assistant Research Officers: Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level.

Statistical Assistants: Deal with the various works / proposals / correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level.

Computer: They perform their duties and functions as assigned to them by the Research Officers.

System Analyst : The System Analyst is the in-charge of the Computer Cell. He develops software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.

Programmer: He helps System Analyst to develop software and other computer related works

Program Planning Officer (PPOs) : He helps in developing software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.

Computer Operator: He assists the Programmer/PPOs in software development, data feeding and render the computer related technical help and guidance to the department.

Superintendent Gr.-I: All the files of Administration Division are put-up to Superintendent Gr-I through Superintendent Gr-II with the administrative proposals for taking decisions at higher level

Superintendent Gr.-II: All the Senior / Junior Assistants, clerks and JOAs of Administration Division submit the files through Superintendent Gr.-II. He puts up the files to Superintendent Gr.-I/ DDO / Joint Director (Administration) for final decision at appropriate level.

Senior Assistants / Junior Assistants: Deal with administrative, personnel, budget, organizational, etc. matters and also works assigned by Superintendent / DDO / Higher Officers.

Clerks : Perform duties and functions as assigned to them by HOD/Superintendent Gr-I/DDO/Supdt. Gr.-II including the work of diary dispatch of the Department.

Junior Office Assistant (IT) (JOAs) : Perform duties and functions as assigned to them by HOD/ Superintendent Gr-I/DDO/Supdt.Gr.-II including the work of diary dispatch of the Department.

Private Secretary/Personal Assistant / Sr. Scale Stenographer / Jr. Scale Stenographers: Perform duties with Head of Department, Joint Directors / Deputy Directors.These officials attend work such as dictation / typing work / attend to the telephone calls, handle the files / records of confidential or secret nature and any other work assigned by the officer.

Steno Typists: Perform duties of dictation and typing work with the officers. Ten posts of Steno-

Typists are sanctioned in the ten Non-Tribal Districts and they performed their duties with the District Planning Officers in the Districts.

Duplicating Machine Operator: To operate the Photostate machines of the Department.

Peons: They perform the duties as per office manual.

Chowkidar : Keeps watch and ward during and after office hours of all the office rooms of the department. He is also responsible for all precautionary measures relating to prevention of fire and damage to Government property.

Sweeper: To sweep, clean and mop the rooms, corridors, verandahs. Clean lavatories, urinals, washbasins, etc daily and properly. To collect and dispose off all waste in the office.

(iii) Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability.

Adviser (Planning) exercises all the powers of Head of Department. All the officers of the department assist him in taking decisions and disposing of the normal work of the department.

The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the Joint Director/ Divisional Heads for final decision/ disposal. Divisional Heads are responsible and accountable for supervision and timely disposal of work in respect of their division (s).

(iv) Norms set by it for the discharge of its functions.

Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules / policies and delegation of powers made by the Government / HOD from time to time.

(v) Rules, Regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.

The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:-

CCS Leave Rules, 1972.

CCS and CCA Rules

HPFR Rules

FR & SR Rules

Medical Attendance Rules

House Building Advance Rules

L.T.C. Rules/T.A. Rules

Budget Manual

Office Manual

Pension Rules

GPF Rules/ EPF Rules

Guidelines for implementation of the following programmes:-

Sectoral Decentralized Planning (SDP)

Vikas Mein Jan Sahyog Program (VMJS)

Vidhayak Ksehetra Vikas Nidhi Youna (VKVNY)

Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY)

Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADs)

Backward Area Sub Plan (BASP)

Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)

Externally Aided Projects (EAPs)

District Innovative Fund (DIF)

Guidelines/instructions issued by the Government from time to time are uploaded on the website of Planning Department can be used by officers and officials for discharging their functions and duties. The Administrative report containing the programmes alongwith organizational structure detail is uploaded on the website of Planning Department.

(vi) Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.

Five year Plans / Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes document, Twenty Point

Programme Quarterly District Ranking Analysis Reports and Annual Administrative Report.

(vii) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.

The State Government has constituted HP State Planning Board, State Level Planning Development Twenty Point Programme Review Committee at State level and District Planning Development and Twenty Point Programme Review Committee at District level as well as Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees. Public representatives have been nominated by the State Government in these committees. Nominated public representatives give their opinion / suggestions regarding policy formulation and implementation at State, District and Sub Divisional level. Apart from this, MLAs meetings to identify the State Annual Plan priorities are also held. Hon'ble MLAs give their valuable suggestions regarding formulation of policies, programmes and implementation.

(viii) A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.

The following Boards / Committees have been constituted in the department:-

Himachal Pradesh State Planning Board**.**

State Level Planning, Development & Twenty Point Programme Review Committee.

District Level Planning Development & Twenty Point Programme Review Committees (DPDCs) in all Districts.

Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review & Public Grievance Committees, State level Employment Generation & Resource Mobilization Committee.

Meetings of these committees/Boards are not open for public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.

(ix) A directory of its officers and employees;

Detail given under heading **"2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT".**

(x) The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;

The Officers and the employees appointed in the Department get the Pay Band and Grade Pay as granted by the Government from time to time.

(xi) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

The Planning Department allocates funds on quarterly basis to the implementing departments and Deputy Commissioners for plan schemes and other various decentralized planning programmes according to the guidelines, formula and instructions issued by State Government from time to time. The division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. have been given in the write-up of the each divisions.

(xii) The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;

There is no subsidy programme being executed directly by the department.

(xiii) Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it,

Not applicable.

Only Plan budget authorizations to incur an expenditure are granted by the Planning Department to all the implementing departments (concerned with Plan) and Deputy Commissioners.

(xiv) Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;

The Department has developed its own Website and the information relating to the various activities of the Department is available on the website http://hp_planning.nic.in.

(xv) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.

The Public can have information from the district offices of Planning Department or its Headquarters i.e. Yojna Bhawan, HP. Sectt. Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on public holidays.

(xvi) The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

Information is given below.

(xvii) Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.

Nil

Particulars of the APIOs, PIOs and Appellate Authority in Planning Department, HP.

Sl. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority	Designation	Address with Telephone No.	Jurisdiction / Unit under his control for which he will render information to applicants
1.	2.	3.	4.	5.
(A)SECRETARIAT LEVEL				
1.	Sh. Rikhi Ram P.I.O.	Joint Secretary (Plg.) to the Govt. of H.P.	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.2628504	Planning Department at Sectt. level.
2.	Sh. Anil Kumar khachi, Appellate Authority	A.C.S.(Plg.) to the Govt. of H.P.	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2. Tel.No. 2620560	Planning Department at Sectt. level.

(B) STATE LEVEL				
1.	Sh. Diwan Chand, P.I.O	Supdt. Grade-I	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2629471	Planning Department at State level.
2.	Sh. Bhag Singh Thakur A.P.I.O	Supdt. Gr.-II	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2880371	Planning Department at State level.
3.	Dr. Basu Sood Appellate Authority	Adviser (Planning)	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2621698	Planning Department at State level.

Sr. No	**Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority**	**Design-ation**	**Address with Telephone No.**	**Jurisdiction / Unit under his control for which he will render information to applicants**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
(C) DISTRICT LEVEL				
1.	Sh. Suresh Kumar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Shimla Telephone No. 0177-2808399	Concerned District.
2.	Sh J.L. Verma, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Solan Telephone No. 01792- 220697	Concerned District.
3.	Sh. Anuj Kumar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Sirmour at Nahan Telephone No. 01702-223008	Concerned District.
4.	Sh. Gautam Chand	District	District Planning Cell, DC	Concerned District.

	Public Information Officer	Planning Officer	Office, Chamba. Telephone No. 01975-226057	
5.	Sh. Ravinder Katoch , Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Kangra at Dharamshala Telephone No. 01892-223316	Concerned District.
6.	Sh. Tej Singh Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office , Mandi. Telephone No. 01905-225212	Concerned District.
7.	Sh Sanjay Parmar Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office , Una Telephone No. 01899-226166	Concerned District.
8.	Smt. Mukta Thakur, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Bilaspur Telephone No. 01978-222668	Concerned District.
9.	Sh. Kuldeep Singh, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Kullu Telephone No. 01902-222873	Concerned District.
10	Sh. Vinod Kumar Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Hamirpur Telephone No. 01972-222702	Concerned District.

Particulars of the PIOs and Appellate Authority in Planning Department, HP.

Sl. No	**Name of PIO / Appellate Authority**	**Designation**	**Address with Telephone No.**	**Jurisdiction / Unit under his control for which he will render information to applicants**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
(A)SECRETARIAT LEVEL				
1.	Sh. Ramesh Chand Sharma, P.I.O.	Under Secretary (Plg.) to the Govt. of H.P.	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.0177-26288481 E-mail:- ppo-plg-hp@nic.in	Planning Department at Sectt. level.
2.	Sh. Anil Kumar khachi, Appellate Authority	A.C.S.(Plg.) to the Govt. of H.P.	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2. Tel.No.0177- 2620560 E-mail:- planningsecy-hp@nic.in	Planning Department at Sectt. level.